X वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण

प्रस्तावना

10.1 2001-02 के दौरान वित्तीय क्षेत्र के सुधारों ने वित्तीय क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण तथा उसके विभिन्न घटकों की कार्यप्रणाली में सुधार करने पर जोर देना जारी रखा । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शुरू किए गए सुधारों के व्यापक मानदण्डों में निम्नलिखित शामिल हैं - वित्तीय व्यवस्था की समग्र दक्षता और स्थिरता में सुधार करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक की विनियामक परिधि के भीतर आनेवाली संस्थाओं के परिचालन का निरन्तर अपविनियमन, विवेकपूर्ण मानदण्डों को कड़ा बनाना तथा पर्यवेक्षी निगरानी में सुधार, पारदर्शिता तथा बाजार प्रकटीकरण का विस्तार करना ।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड

10.2 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) ने, जिसे वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं (विसं), गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (गैबैंविक), भारतीय समाशोधन निगम लि. (भासनिलि) तथा प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया था, इन संस्थाओं पर निगरानी रखी और इनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा की तथा विनियामक और पर्यवेक्षी नीति संबंधी निर्णयों के बारे में दिशा-निर्देश दिए । वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा अनुसरण की जा रही नीति की रूपरेखा संस्था विशेष के पर्यवेक्षण संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हुए स्पष्ट की गई । वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड बैंकों की धोखाधड़ियों की निगरानी करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आंतरिक लेखा कार्य संबंधी मुद्दों की निगरानी के साथ-साथ अंतर-शाखा तथा अंतर बैंक खातों (नोस्ट्रो खाता सहित) की प्रविष्टियों के समाधान तथा लेखा-बहियों के मिलान करने के कार्य की निगरानी करने संबंधी कार्य में भी संलग्न रहा ।

10.3 2001-02 के दौरान (जुलाई 2001 से जून 2002 तक) वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की बारह बैठकें हुईं । इन बैठकों में बोर्ड ने निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा की तथा 30 सितंबर 2000, 31 दिसम्बर 2000, 31 मार्च 2001, 30 सितंबर 2001 और 31 दिसम्बर 2001 को समाप्त तिमाहियों के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों की सहायक संस्थाओं के निष्पादन संबंधी विभिन्न ज्ञापनों पर विचार किया । समीक्षाधीन अवधि के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की लेखांकन उप समिति की दो बैठकें हुईं । इस उप समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों को देय लेखा परीक्षा शुल्कों, आदि में संशोधन तथा लेखांकन कार्यों से पहले वंचित की गयी कुछ कंपनियों को लेखांकन कार्य पुनः सौंपने के बारे में विचार किया ।

10.4 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की लेखांकन उप समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लेखांकन और विनियामक निहितार्थों के संचालन के लिए विविध उपायों की सिफारिश की । ये सिफारिशें मोटे तौर पर विनियामक मानदण्डों के साथ कोई समझौता किये बिना प्रकटीकरण, व्यय के आबंटन तथा बैंकों पर एक बार ही पड़नेवाले बोझ से राहत देने से संबंधित हैं । 2001-02 से राज्य वित्त निगमों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए अपनायी जानेवाली प्रक्रिया तथा उनके पारिश्रमिक का अनुमोदन किया गया । अर्धवार्षिक समीक्षा की प्रणाली सितम्बर 2001 में शुरू की गई तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एस ई बी आइ) के परामर्श से उक्त उप समिति द्वारा समीक्षा रिपोर्ट के फार्मेट को अंतिम रूप दिया गया तथा सितम्बर 2001 से शुरू करने के लिए इसे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को अग्रेषित किया गया । 2001-02 से सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किए जानेवाले लेखांकन फर्मों के लिए न्यूनतम पात्रता मानदण्ड के संबंध में निजी क्षेत्र के सभी भारतीय बैंकों को निदेश दिया गया ।

10.5 2001-02 (जुलाई-जून) के दौरान 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के 14 स्थानीय प्रधान कार्यालयों, 31 निजी क्षेत्र के बैंकों तथा 38 विदेशी बैंकों, दो स्थानीय क्षेत्र के बैंकों तथा दस अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के संदर्भ में वार्षिक वित्तीय निरीक्षण पूरा किया गया । वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने 2001-02 के दौरान 126 निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की, इनमें से 77 मार्च 2001 के अंत की स्थिति से संबंधित हैं ।

10.6 चूंकि बैंक, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के विनियामक और पर्यवेक्षी निरीक्षण के अधीन हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय समाशोधन निगम लि. जैसे प्रणालीबद्ध रूप में महत्त्वपूर्ण प्रणालियों के प्रयोजन से भुगतान और निपटान सेवा का निष्पादन करनेवाली संस्थाओं के विनियमन का कार्य भी रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाए तथा उन पर निरीक्षण संबंधी कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा किया जाए ।

10.7 हाल की अवधि में प्राथमिक व्यापारी, जो यद्यपि जमा राशियां स्वीकार न करने वाली कम्पनियां हैं, फिर भी व्यवस्था की दृष्टि से वे महत्त्वपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि वे अधिकांशतः अल्पावधि निधि वाली तथा अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दर जोखिमवाली सुविधा प्राप्त (लीवरेज्ड) संस्थाएं हैं । सरकारी प्रतिभूति बाजार में उनका बाजार हिस्सा पर्याप्त है तथा मुद्रा बाजार में उनकी सहभागिता बैंकों के समतुल्य और उल्लेखनीय है । तदनुसार प्राथमिक व्यापारियों का पर्यवेक्षण वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के विनियामक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है ।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक

10.8 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एस सी बी) के कार्य निष्पादन में 2001-02 के दौरान सुधार आया जिसे सभी वित्तीय मानदंड परिलक्षित करते हैं । जहाँ अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल

आस्तियों के प्रति परिचालनगत लाभों का अनुपात, 2000-2001 के 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 2000-2002 में 2.0 प्रतिशत हो गया, वहीं कुल आस्तियों के प्रति निवल लाभों का अनुपात, समान अवधि में 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 0.8 प्रतिशत हो गया । वर्ष 2000-01 के 10.2 तथा 9.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2001-02 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आय तथा कुल व्यय अपनी कुल आस्तियों का 10.0 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत रहा (चार्ट X.1) ।

10.9 2001-02 के दौरान, 69 बैंकों ने अपने परिचालनगत लाभों तथा कुल आस्तियों के प्रति निवल लाभों के अनुपातों में वृद्धि दर्ज की (सारणी 10.1) ।

10.10 मार्च 2002 के अंत में, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने (पाँच बैंकों को छोड़कर) निर्धारित 9 प्रतिशत से अधिक जोखिम भारित आस्ति-पूंजी अनुपात (सीआरएआर) प्राप्त किया है जिनमें 53 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के बीच तथा अन्य 30 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने 15 प्रतिशत से अधिक सी आर ए आर प्राप्त किया है (सारणी 10.2) ।

10.11 मार्च 2002 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल अग्रिम के प्रति सकल गैर-निष्पादक आस्तियों (एन पी ए) का अनुपात 10.8 रहा जो मार्च 2001 के अंत के 11.4 प्रतिशत की तुलना में कम है । इसी तरह, मार्च 2001 के अंत के 6.2 प्रतिशत की तुलना में निवल अग्रिम के प्रति निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का अनुपात विभिन्न बैंक समूहों में, मार्च 2002 के अंत में 5.9 प्रतिशत पर रहा । निवल अग्रिम के प्रति निवल एन पी ए का अनुपात निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के लिए सर्वाधिक (7.5 प्रतिशत) तथा विदेशी बैंकों के लिए न्यूनतम (1.8 प्रतिशत) रहा । मार्च 2001 के अंत के 4.9 प्रतिशत तथा 2.5 प्रतिशत की तुलना में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए, कुल आस्तियों के प्रति सकल गैर-निष्पादक आस्तियों तथा निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का अनुपात मार्च 2002 के अंत में क्रमश: 4.8 प्रतिशत तथा 2.6 प्रतिशत रहा (चार्ट X.2) ।

10.12 अधिकांश अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने, 97 बैंकों में 74 ने, अपने निवल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से कम निवल एनपीए दर्ज किया है (सारणी 10.3) ।

चार्ट X.1 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालनात्मक परिणाम : 2001-02

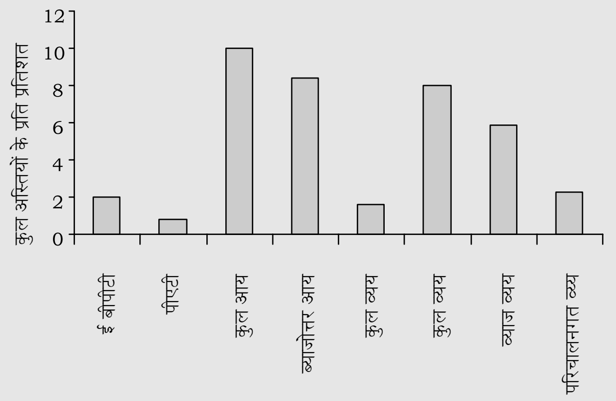

ई बी पी टी : प्रावधान और कर-पूर्व आय
पीएटी : करोत्तर लाभ

सारणी 10.1 : 2001-02 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालनगत परिणाम

(वर्ष के दौरान अनुपातों में वृद्धि दर्शानेवाले बैंकों की संख्या)

कुल आस्तियों से अनुपात	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक	सभी बैंक
	भा. स्टेट बैंक समूह	राष्ट्रीयकृत बैंक	पुराने	नये		
1	2	3	4	5	6	7
प्रावधान और कर से पूर्व आय	8	18	21	4	18	69
करोत्तर लाभ	8	17	22	3	19	69
कुल आय	4	13	15	4	14	50
ब्याज आय	3	5	3	3	11	25
ब्याजेतर आय	7	17	21	7	18	70
कुल व्यय	–	2	8	3	14	27
ब्याज व्यय	2	5	6	3	15	31
परिचालन व्यय	–	6	11	5	17	39
प्रावधान और आकस्मिकताएं	8	12	18	7	18	63

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं ।
2. ये आंकड़े मात्र घरेलू परिचालनों से संबंधित हैं ।

सारणी 10.2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों से पूंजी का अनुपात: मार्च 2002 के अंत में
(बारंबारता आबंटन)

जोखिम भारित आस्तियों से पूंजी अनुपात	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक	सभी बैंक
	भा. स्टेट बैंक समूह	राष्ट्रीयकृत बैंक	पुराने	नये		
1	2	3	4	5	6	7
ऋणात्मक	–	–	2	–	1	3
0 और 9 प्रतिशत के बीच	–	2	–	–	–	2
9 और 10 प्रतिशत के बीच	–	2	2	2	3	9
10 और 15 प्रतिशत के बीच	8	14	12	6	13	53
15 प्रतिशत और उससे अधिक	–	1	7	–	22	30
कुल	**8**	**19**	**23**	**8**	**39**	**97**

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं ।

बैंकिंग क्षेत्र में नीतिगत पहल

10.13 बैंकिंग क्षेत्र में जारी सुधारों का मुख्य जोर परिचालनात्मक प्रभावशालिता में वृद्धि, विवेकपूर्ण और पर्यवेक्षणात्मक मानकों को सुदृढ़ करने, प्रौद्योगिकीय और संस्थागत बुनियादी सुविधा का विकास करने तथा रिज़र्व बैंक की विनियामक भूमिका को पुनःपरिभाषित करने पर रहा है ।

निवेशगत जोखिमों के मानदण्ड

10.14 एकल/समूह उधारकर्ताओं के लिए निवेश की उच्चतम सीमा बैंकों के संविभागीय निवेश में ऋण जोखिम को सीमित करने का कार्य करती है तथा इसे बैंकों की विनियामक पूंजी से संबद्ध किया गया है । मार्च 2002 से वैयक्तिक उधारकर्ताओं के लिए निवेश की उच्चतम सीमा 20 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत

सारणी 10.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल अग्रिमों की तुलना में निवल गैर-निष्पादक आस्तियां *(बारंबारता आबंटन)*

जोखिम भारित आस्तियों में पूंजी का अनुपात	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक
	भा. स्टेट बैंक समूह	राष्ट्रीयकृत बैंक	पुराने	नये	
1	2	3	4	5	6
1996-97					
10% तक	5	12	22	9	36
10% से अधिक और 20% तक	3	6	3	–	1
20% से अधिक	–	1	–	–	2
1997-98					
10% तक	4	13	21	9	33
10% से अधिक और 20% तक	4	5	4	–	6
20% से अधिक	–	1	–	–	3
1998-99					
10% तक	4	14	16	9	27
10% से अधिक और 20% तक	4	4	4	–	10
20% से अधिक	–	1	3	–	3
1999-2000					
10% तक	7	15	17	8	32
10% से अधिक और 20% तक	1	4	6	–	6
20% से अधिक	–	–	1	–	4
2000-01					
10% तक	8	14	16	8	31
10% से अधिक और 20% तक	–	5	4	–	6
20% से अधिक	–	–	3	–	5
2001-02अ					
10% तक	8	16	17	8	25
10% से अधिक और 20% तक	–	3	3	–	5
20% से अधिक	–	–	3	–	9

अ : अनंतिम

चार्ट X.2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंको की गैर-निष्पादक आस्तियां (एनपीए)

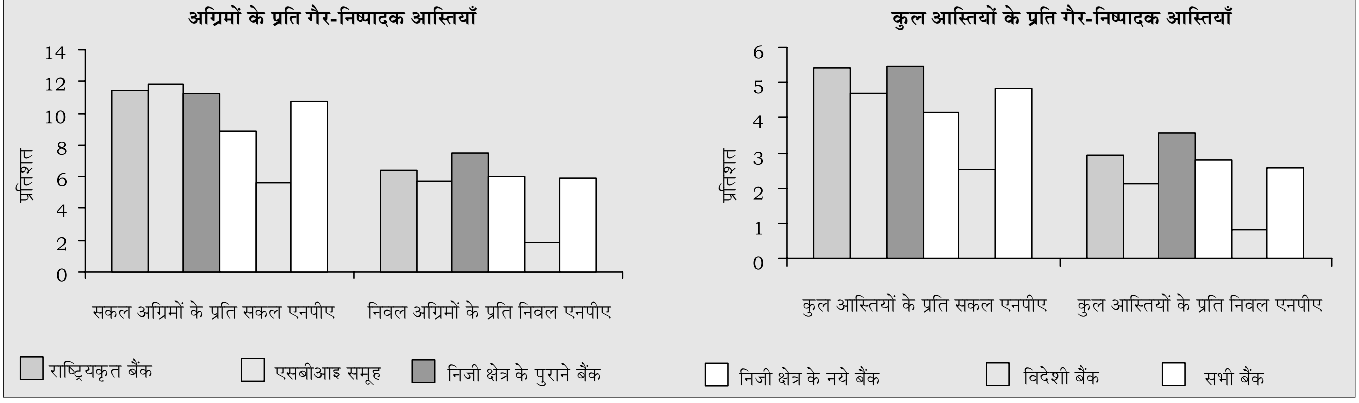

तथा समूह उधारकर्ताओं के लिए बैंक की पूंजीगत निधियों के 50 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत की गई थी । बुनियादी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए समूह निवेश की सीमा 50 प्रतिशत पर ही रखी गई । बैंकों को निर्देश दिया गया कि निवेश जोखिम की उच्चतम सीमा की गणना करने के प्रयोजन से तुलनपत्र प्रकाशन की तारीख के बाद निर्गमों अथवा विदेशी निर्गमों के जरिए पूँजी के निवेश को हिसाब में लिया जाएगा, परंतु जैसेकि तिमाही लाभ के जरिए पूँजी निधि में होनेवाली अन्य बढ़ोतरी के निवेश की गणना उच्चतम सीमा के निर्धारण के प्रयोजन से नहीं की जाएगी । बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि भविष्य में पूँजी निवेश का पूर्वानुमान कर निर्दिष्ट उच्चतम सीमा से अधिक का निवेश न किया जाए ।

10.15 विवेकपूर्ण निवेश जोखिम सीमा के प्रयोजन से विदेशी बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे भारत में निविष्ट किये गये अपने विदेशी मुद्रा ऋणों को टियर I और टियर II में शामिल कर सकते हैं । इसके साथ ही, 31 मार्च 2002 से निवेश जोखिम की उच्चतम सीमा निर्धारण के प्रयोजन से विदेशी बैंकों को भारतीय बैंकों के समतुल्य माना गया । पूँजी निधियों की संशोधित अवधारणा के फलस्वरूप कई विदेशी बैंक, विवेकपूर्ण उच्चतम निवेश जोखिम की सीमा को पार कर गए । निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह अनुमति दी कि वे 31 मार्च 2003 तक सीमा से अधिक के वर्तमान निवेश जोखिम के स्तर को बनाये रख सकते हैं ।

आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी मानदण्ड

10.16 1992 में लागू किए गए आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण मानदण्डों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उनमें क्रमिक रूप से सुधार किया गया है । बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी समिति (नरसिंहम समिति II) की सिफारिशों के अनुरूप तथा प्रावधानीकरण मानकों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों का स्तर प्राप्त करने के प्रयोजन से बैंकों को यह सूचित किया गया कि 31 मार्च 2005 से यदि कोई आस्ति बारह महीने तक अवमानक श्रेणी में रहती है तो उसे संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा । 31 मार्च 2005 को समाप्त होनेवाले वर्ष से बैंकों को यह अनुमति होगी कि वे चार वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप में प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की न्यूनतम दर से अतिरिक्त प्रावधानीकरण को पूरा करें ।

10.17 मार्च 1999 में बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार तीन वर्ष से अधिक समय से मिलान न की गयी नामे और जमा की बकाया प्रविष्टियों के कारण उत्पन्न होने वाले अंतर-शाखा खाता में निवल (नामे) की स्थिति के लिए शत-प्रतिशत प्रावधान करें । 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष से इस अवधि को घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया और 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष से और घटाकर एक वर्ष कर दिया गया ।

10.18 बैंकों से अपेक्षित है कि वे 1 अप्रैल 1996 को अथवा उसके बाद नोस्ट्रो तथा मिरर खातों में मिलान न की गयी नामे प्रविष्टियों तथा तीन वर्ष से अधिक समय से शेष बकाया राशियों के संबंध में प्रत्येक वर्ष शत प्रति शत प्रावधानीकरण करें । तीन वर्ष से भी अधिक समय से मिलान न की गयी अवशिष्ट (शेष) जमा प्रविष्टियों के संबंध में बैंकों को यह निर्देश दिया गया कि वे 30 सितम्बर 2001 की स्थिति के अनुसार बैंक की बहियों में दर्ज निवल ऋण प्रविष्टियों को विशिष्ट अवरुद्ध खातों में अंतरित करें तथा उन्हें तुलनपत्र में "अन्य देयताओं और प्रावधनों" के अंतर्गत दिखायें । मिलान होने तक प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/ सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के प्रयोजन के लिए अवरुद्ध खाते में शेष की गणना की जाएगी ।

प्रकटीकरण मानदंड

10.19 बैंकों के तुलनपत्र तथा लाभ और हानि खाते को उनकी वित्तीय स्थिति का और अधिक परिचायक बनाने के वर्तमान प्रयासों के क्रम में मार्च 2002 को समाप्त वर्ष से बैंकों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे (i) गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों में घट-बढ़ तथा (ii) पूंजी निवेश के मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों में घट-बढ़ से संबंधित अपने तुलनपत्र की "खाता संबंधी टिप्पणी" में अतिरिक्त प्रकटीकरण करें । बैंकों से यह भी अपेक्षा की गयी है कि वे इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों और डिबेंचरों तथा इक्विटी अभिमुख पारस्परिक निधि के यूनिटों में किए गए कुल निवेशों तथा शेयरों की जमानत पर सकल अग्रिमों के संबंध में "खातों पर टिप्पणियाँ" में प्रकटीकरण करें । बैंकों को कंपनी ऋण पुनर्संरचना(सीडीआर) के अधीन पुन: संरचित अपनी कुल ऋण आस्तियों तथा मानक और अवमानक आस्तियों की राशि भी प्रकट करनी चाहिए ।

बैंकों द्वारा निवेश

10.20 रिज़र्व बैंक-सेबी तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकों द्वारा इक्विटियों के वित्तपोषण और निवेशों के लिए दिशा-निर्देश संशोधित किए गए तथा पूँजी बाजार में बैंक निवेश के लिए निर्दिष्ट 5 प्रतिशत के समग्र निवेश जोखिम की उच्चतम सीमा के अंतर्गत मार्जिन ट्रेडिंग के लिए बैंकों को स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्त उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई । मार्जिन ट्रेडिंग के लिए दी गई निधियों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत का मार्जिन रखना अपेक्षित था । मार्जिन ट्रेडिंग के जरिए खरीदे गए शेयर उधार देनेवाले बैंक के पास अभौतिकीकृत (डीमैट) रूप में गिरवी रखने होंगे । बैंक के बोर्डों को यह निदेश दिया गया कि मार्जिन ट्रेडिंग के संबंध में अंतर-संबद्ध स्टॉक-ब्रोकिंग प्रतिष्ठानों तथा बैंकों के मध्य कोई सांठगांठ विकसित न हो जाए - यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रक्षोपाय निर्धारित करें ।

10.21 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक पर्याप्त प्रारक्षितों का निर्माण कर प्रतिभूतियों में निवेश की बिक्री से हासिल लाभ का उपयोग कर और अधिक विवेकपूर्ण नीति का अनुसरण करें ताकि वे भविष्य में ब्याज दर परिवेश में किसी संभावित विपर्यय का सामना कर सकें बैंकों को यह निदेश दिया गया है कि वे प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ को निवेशगत उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आइएफआर) खाता में अंतरित करें तथा पाँच वर्ष की अवधि में अपने निवेश संविभाग के 5 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम आइएफआर हासिल करें । बैंकों को यह छूट है कि वे अपने निदेशक मंडल की सहमति से अपने संविभाग के आकार और संरचना के आधार पर अपने संविभाग के 10 प्रतिशत तक की राशि आइएफआर में एकत्र करें । आइएफआर का परिकलन "लेनदेन के लिए धारित" तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" नामक दो श्रेणियों के लिए निवेश के संदर्भ में किया जाना है । बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि निवेश संविभाग के मूल्यांकन पर प्राप्त न हुए लाभों को आय खाता अथवा आइएफआर में शामिल न किया जाए । पिछले अनुदेश के संशोधन में बैंकों को यह निदेश दिया गया कि कम-से-कम हर तिमाही में "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के अंतर्गत धारित विशिष्ट स्क्रिप का बाजार में विपणन करें । आइएफआर जिसमें निवेश की बिक्री से प्राप्त लाभ शामिल है, को टियर II पूंजी में सम्मिलित किया जा सकता है ।

लेखा मानकों का बैंकों द्वारा अनुपालन

10.22 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) का बैंकों द्वारा अनुपालन और अनुपालन के अंतर की जांच के दृष्टिकोण और अंतर खत्म करने/कम करने के लिए कदमों की सिफारिश करने के लिए एक कार्यसमूह का गठन किया गया है ।

10.23 बैकों द्वारा कुछ लेखांकन मानकों के अनुपालन में व्यक्त की गई कठिनाइयों के मद्देनजर, एकसमान प्रकटन फार्मेट के अभाव में विशेषतः खंड रिपोर्टिंग की एएस 17, समेकित वित्तीय विवरणों का एएस 18 और आय पर कर का एएस 22, व्यापक प्रकटन के लिए समुचित प्रबंध सूचना प्रणाली (एम आइ एस) और नियामक अनुपालन पर उसके प्रभाव के चलते यह निश्चय किया गया कि इन एएस को केवल 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के लिए बैंकों हेतु वैकल्पिक बनाया जाए । उपर्युक्त कार्यसमूह की सिफारिशों के आधार पर जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2003 तक बैंकों को एएस के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा ।

समेकित लेखांकन और पर्यवेक्षण

10.24 अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों के अनुरूप समेकित पर्यवेक्षण के लिए समेकित लेखांकन और परिमाणात्मक तकनीकों को शुरू करने के कार्य पर विचार करने के लिए एक बहु प्रभागीय कार्यकारी समूह का गठन किया गया । समूह की रिपोर्ट जनवरी 2002 में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के समक्ष रखी गयी । टिप्पणी / सुझावों के लिए यह रिपोर्ट आम लोगों के लिए भी जारी की गयी ।

जमा बीमा

10.25 जमा बीमा वित्तीय क्षेत्र के सुरक्षा तंत्र का एक घटक है । केंद्रीय बजट 2002-03 में घोषणा की गई थी कि निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) को बैंक जमा बीमा निगम (बीडीआइसी) में परिवर्तित कर दिया जाएगा ताकि इसे जमाकर्ताओं के जोखिमों और संकटग्रस्त बैंकों के साथ कारोबार करने के लिए प्रभावी साधन बनाया जा सके ।

रिज़र्व बैंक का स्वामित्व संबंधी कार्य

10.26 बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी समिति ने रिज़र्व बैंक के स्वामित्व और पर्यवेक्षण संबंधी भूमिकाओं में हितों के संभावित टकराव का उल्लेख किया तथा यह सुझाव दिया कि आदर्श रूप में रिज़र्व बैंक को उन संस्थाओं का स्वामित्व नहीं रखना चाहिए जिनका वह विनियमन करता है । रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में अपने स्वामित्व वाला शेयर केंद्र सरकार को अंतरित करने की सिफारिश स्वीकार की है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम तथा डिस्काउंट एण्ड फाइनान्स हाउस ऑफ इंडिया में अपनी संपूर्ण धारिताएं त्याग दी हैं । एसबीआइ, नाबार्ड तथा एनएचबी के स्वामित्व के हस्तांतरण के मामले में मूल्यांकन, भुगतान समायोजन जैसे तौर-तरीकों तथा परिणामतः शेयर धारिता के हस्तांतरण संबंधी अपेक्षित विधायी उपायों की सिफारिश करने के लिए एक आंतरिक कार्यकारी समूह का गठन किया गया है । उच्च कार्यकारी समूह ने नवम्बर 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसे सरकार को भेज दिया गया है ।

निजी क्षेत्र के नए बैंकों का प्रवेश

10.27 जनवरी 2001 में रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए तथा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अवधि निर्धारित की । निर्धारित अवधि में कुल मिलाकर 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा प्रथम दृष्ट्या पात्रता सुनिश्चित करने के लिए इन आवेदनों की छानबीन की गई तथा तत्पश्चात् इन्हें उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष डा. आइ.जी. पटेल) को भेज दिया गया । रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2002 को कोटक महिन्द्रा फाइनेंस तथा राबो बैंक से संबंद्ध तीन व्यवसायियों को "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्रदान किया । ये अनुमोदन एक वर्ष के लिए वैध हैं ।

बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

10.28 बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) से संबंधित दिशानिर्देश / स्पष्टीकरण जारी किए गए । समय-समय

पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन निजी क्षेत्र के बैंकों में सभी स्रोतों से 49 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की स्वतः अनुमति दी गई है (बॉक्स X.1) ।

बीमा कारोबार में बैंकों का प्रवेश

10.29 बीमा कारोबार में बैंकों के प्रवेश के प्रयोजन से मार्गदर्शी दिशानिर्देश जारी कर दिए गए । तदनुसार इसमें निर्धारित अनिवार्य मानदण्डों यथा 500 करोड़ रुपये का न्यूनतम निवल मूल्य, कम-से-कम 10 प्रतिशत जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर), गैर-निष्पादक अग्रिमों का उपयुक्त स्तर, पिछले तीन वर्षों से लगातार निवल लाभ तथा सहयोगी संस्थाओं का संतोषजनक पिछला रिकार्ड पूरा करने वाले बैंकों को जोखिम सहभागिता के आधार पर बीमा के संयुक्त उद्यम गठित करने की अनुमति है । जो बैंक संयुक्त उद्यम सहभागिता के पात्र नहीं हैं उन्हें बिना किसी आकस्मिक देयताओं के बुनियादी सुविधा तथा सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निश्चित सीमा तक अनुकूल निवेश की अनुमति है । किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक अथवा इसकी सहायक संस्था को बिना किसी जोखिम भागीदारी के किसी बीमा कम्पनी के एजेंट के रूप में बीमा कारोबार करने तथा बीमा उत्पादों के प्रचार की अनुमति है । तथापि चूंकि वर्तमान आइआरडीए विनियमों में एजेंसी का कारोबार शुरू करने के लिए पात्र व्यक्ति की परिभाषा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल नहीं हैं, इसलिए आइआरडीए (बीमा एजेंटों की लाइसेंसिंग) विनियम में आवश्यक संशोधन प्रतीक्षित है । बीमा कारोबार शुरू करने वाले सभी बैंकों को रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा । बैंकों से अपेक्षित है कि बीमा कम्पनियों से अपने संबंधों में "थोड़ी दूरी" बनाए रखें ताकि बीमा कार्यकलापों के जोखिमों से बैंकिंग व्यवसाय प्रभावित न हो ।

ब्याज दरें

10.30 अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे 1 अप्रैल 2002 तक प्रयोज्यता और समय से संबंधित कतिपय शर्तों के अधीन मासिक अवधियों के आधार पर ब्याज लगाने की प्रथा शुरू करेंगे । इसका अभिप्राय 31 मार्च 2004 को समाप्त होनेवाले वर्ष से गैर-निष्पादक उधार की पहचान के लिए 90 दिवसीय मानदण्ड को अपनाने के कार्य को सुगम बनाना है ।

बॉक्स X .1

बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित मानदंड समग्र विदेश निवेश नीति तथा विभिन्न सांविधिक उपबंधों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों से संचालित होते हैं ।

निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वतः विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा

क) समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निदेशों की अनुरूपता के अधीन निजी क्षेत्र के बैंकों में सभी स्रोतों से 49 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की स्वतः अनुमति है ।

ख) स्वतः अनुमोदन के अंतर्गत उल्लिखित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के प्रयोजन से निम्नलिखित श्रेणियों के शेयर : आरम्भिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ), निजी स्थानन, एडीआरएस / ग्लोबल जमा रसीदों (जी डी आर) तथा वर्तमान शेयरधारकों से शेयरों के अर्जन सम्मिलित किए जाएंगे ।

ग) इस स्वतः अनुमोदन के अधीन नए शेयरों के निर्गम की सुविधा उन विदेशी निवेशकों के लिए उपलब्ध नहीं है जिनका उसी अथवा सम्बद्ध क्षेत्र में वित्तीय अथवा तकनीकी सहयोग है । इस वर्ग के निवेशकों के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है ।

घ) किसी बैंकिंग कम्पनी में निवासी से अनिवासियों को वर्तमान शेयरों के हस्तांतरण के मामले में स्वतः अनुमोदन लागू नहीं होता है । इस वर्ग के निवेशकों के लिए विदेशी पूँजी संवर्धन बोर्ड का अनुमोदन तथा इसके बाद "सिद्धांत रूप में" रिज़र्व बैंक का अनुमोदन अपेक्षित है । वर्तमान शेयरों के अंतरण व्यक्ति का "उचित मूल्य" रिज़र्व बैंक द्वारा मोटे तौर पर सूचीबद्ध शेयरों के लिए सेबी के दिशानिदेशों के आधार पर तथा असूचीबद्ध शेयरों के लिए तत्कालीन पूँजी निर्गम नियंत्रक (सीसीआइ) के दिशानिदेशों के आधार पर किया जाता है । सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निवासी विक्रेता धनराशि प्राप्त कर सकते हैं तथा शेयरों के हस्तांतरण के प्रयोजन से अंतिम अनुमति प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक में आवेदन कर सकते हैं ।

ङ) बीमा अधिनियम के अंतर्गत किसी बीमा कम्पनी में अधिकतम विदेशी निवेश 26 प्रतिशत निर्धारित किया गया है । बीमा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम / सहयोगकर्ता बैंकों में विदेशी निवेश के लिए आवेदन रिज़र्व बैंक में दिया जाना चाहिए । रिज़र्व बैंक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) से परामर्श करके ऐसे आवेदनों पर विचार करेगा ।

च) अपनी शाखा के जरिए भारत में कार्यरत विदेशी बैंक रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से 49 प्रतिशत की समग्र (कुल) सीमा के अधीन निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के पात्र हैं ।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा

राष्ट्रीयकृत बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा पोर्टफोलियो संविभागीय निवेश कुल 20 प्रतिशत की सांविधिक सीमा के अधीन है । भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंकों में पूँजी निवेश के संदर्भ में भी यही सीमा लागू होगी ।

मानदण्डों में निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं (i) विदेशी निवेशकों के मत का अधिकार, (ii) रिज़र्व बैंक का अनुमोदन तथा रिपोर्टिंग सम्बंधी आवश्यकताएं, (iii) सेबी के विनियम तथा कम्पनी अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन, (iv) विदेशी निवेशकों द्वारा विनिवेश ।

जोखिम प्रबंध संबंधी दिशानिर्देश

10.31 बाजार जोखिम प्रबंध तथा ऋण जोखिम प्रबंध संबंधी कार्यकारी समूह ने बैंकों के लिए व्यापक मार्गदर्शी नोट तैयार किए हैं, जिन्हें रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर टिप्पणी के लिए जारी किया गया है । बाजार जोखिम प्रबंध संबंधी मार्गदर्शी नोट में अनुमोदन स्तरों तथा किन्हीं अपवादों, विचलनों और छूटों के लिए अपेक्षाओं सहित, बैंक के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है । इस नोट में जोखिम प्रबंध समिति के उत्तरदायित्वों, जोखिम उठानेवाली इकाई, जोखिम प्रबंधक, जोखिम निगरानी की पहचान तथा रिपोर्ट करने, इसका वित्तपोषण और चलनिधि तथा जोखिम विश्लेषण के प्रतिमान से संबंधित क्षेत्रों को उदाहरण के जरिए स्पष्ट किया गया है । ऋण जोखिम प्रबंध संबंधी नोट में नीति और ऋण रेटिंग का ढांचा, ऋण जोखिम मॉडल, संविभागीय प्रबंध तथा जोखिम सीमा, अंतर-बैंक निवेश जोखिम / ऋण सीमाएं, तुलनपत्र से इतर निवेश जोखिम, देश और अंतरण जोखिम, ऋण समीक्षा-तंत्र / ऋण लेखा-परीक्षा, जोखिम मूल्यन आर्थिक लाभ तथा ऋण जोखिम पर पूंजी संबंधी नये समझौते के निहितार्थ संबंधी मदें शामिल हैं ।

बैंकों में गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) का प्रबंध

10.32 बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादक आस्तियों के स्तर को कम करने के लिए केंद्र सरकार तथा रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं, (बाक्स X.2) । हाल ही में उठाए गए कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय कम्पनी ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर), लघु ऋण खातों का एकमुश्त निपटान, लोक अदालत, आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (ए आर सी) आदि से संबंधित हैं । ये उपाय पूरे देश से प्राप्त अनुभवों से संकलित सीखों के आधार पर तैयार किए गए हैं (सारणी 10.4) ।

सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों की पुन:संरचना के लिए पैकेज

10.33 श्री एस.पी.तलवार, भूतपूर्व उप-गवर्नर की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय समूह ने जनवरी 2001 में इंडियन बैंक, यूको बैंक और युनाइटेड बैंक आफ इंडिया की व्यवहार्य पुन:संरचना हेतु, पूंजी लगाने का सुझाव दिया था । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पुनः संरचना पर कार्य दल इनमें से तीन बैंकों अर्थात इंडियन बैंक, यूको बैंक तथा युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को कमजोर बैंक के रूप में वर्गीकृत किया है तथा उनकी व्यापक पुनः संरचना की सिफारिशें भी की हैं । मार्च 2001 की समाप्ति पर, दो बैंकों अर्थात यूको बैंक तथा युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थिति बदल गई है और उन्होंने वर्ष 2001-02 के दौरान क्रमश: 165 करोड़ रुपये तथा 119 करोड़ रुपये के निवल लाभ अर्जित किये हैं । उन्होंने नौ प्रतिशत का सीआरएआर का लक्ष्य भी प्राप्त किया है । काफी प्रगति के बावजूद इंडियन बैंक ने निर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता अनुपात से कम अनुपात दर्शाया । निगरानी रखने योग्य सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में दिये गये आश्वासनों के आधार पर 30 मार्च 2002 को

बॉक्स X.2

गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) से संबंधित नयी नीतिगत पहल

विनियामकों की दृष्टि से एनपीए प्रबंधन के चार स्तर हैं यथा आकलन, प्रावधानीकरण, वसूली और नई गैर-निष्पादक आस्तियों के सृजन को रोकना । एनपीए प्रबंधन की हाल की पहल बृहत्तर रूप में तीसरे और चौथे पहलुओं यथा वसूली और नये एनपीए के सृजन के निवारक पहलुओं से संबंधित है, जबकि पहले और दूसरे पहलुओं से संबंधित मानकों को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों के समकक्ष लाने के लिए क्रमशः कड़ा बनाया गया है । तद्नुसार, इन वर्षों में भारतीय बैंकों की क्षमता और बुनियादी सुविधा के संवर्धन के लिए कई उपाय किए गए हैं ताकि वे गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रबंध कर सकें ।

मई 1999 में, रिज़र्व बैंक ने लघुक्षेत्र के पुराने एनपीए को समझौते के जरिए निपटाने के प्रयोजन से निपटान परामर्शदात्री समिति (एसएसी) के गठन के प्रयोजन से दिशानिर्देश जारी किए । गैर-निष्पादक आस्तियों (गैनिआ) के स्टॉक की वसूली के लिए सरल, गैर-विवेकाधीन तथा गैर-विभेदमूलक तंत्र उपलब्ध कराने के लिए जुलाई 2000 में संशोधित दिशानिदेश जारी किए गए ।

गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) एक दूसरी व्यवस्था है । डीआरटी की प्रभावोत्पादकता के संवर्धन के लिए केन्द्र सरकार ने जनवरी 2000 में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण वसूली अधिनियम में संशोधन किया । 31 मार्च 2002 की स्थिति के अनुसार 22 डीआरटी तथा 5 ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) थे । डीआरटी द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या 2000-01 के 8,080 (1,542 करोड़ रुपए) से बढ़कर 2001-02 के दौरान 12,575 (2,603 करोड़ रुपए) हो गई ।

जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन, थाईलैंड, कोरिया, मलेशिया जैसे देशों में प्रचलित है कम्पनी ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) के लिए एक उपयुक्त प्रकिया-तंत्र को अगस्त 2001 में अन्तिम रूप दिया गया ताकि आंतरिक अथवा बाह्य कारकों से प्रभावित अर्थक्षम कम्पनी संस्थाओं के ऋण भुगतान की पुनर्संरचना के लिए बीआइएफआर, डीआरटी तथा अन्य कानूनी कार्यवाहियों के क्षेत्राधिकार से बाहर समयबद्ध और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित किया जा सके ।

लघु ऋणों के संदर्भ में बकाया के निपटान के लिए लोक अदालत एक प्रभावी संस्था सिद्ध हुई है । 2001 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिशानिदेश जारी किए गए जिसमें यह उल्लेख था कि (i) लोक अदालत के अंतर्गत आनेवाली धनराशि की उच्चतम सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाए, (ii) इस योजना में संदिग्ध और हानिगत आस्तियों के वर्ग में वाद दाखिल और गैर-वाद दाखिल खाता दोनों को शामिल किया जाए तथा (iii) निपटान नियम नमनीय होना चाहिए । इसके साथ ही, डीआरटी को यह अधिकार दिया जाए कि वह 10 लाख रुपए और उससे अधिक के गैर-निष्पादक आस्तियों के मामलों को निर्धारित करने के लिए लोक अदालत का गठन करें । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लोक अदालत के मंच के जरिए 30 सितंबर 2001 तक 40 करोड़ रुपए की वसूली की थी ।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह निदेश दिया गया कि वे एक करोड़ रु. तथा उससे अधिक के इरादतन चूककर्ताओं के सभी मामलों की जाँच करें तथा ऐसे मामलों में वादा दाखिल करें । निदेशक मंडल से यह अपेक्षा की गयी है कि वे विशेषकर

(जारी....)

(समाप्त....)

कर्मचारियों की जिम्मेदारियों के संदर्भ में एक करोड़ रु. तथा उससे अधिक की गैर-निष्पादक आस्तियों के खातों की समीक्षा करें ।

आस्तियों के प्रतिभूतीकरण की प्रक्रिया के जरिए बैंकों के तुलन पत्र से गैर-निष्पादक आस्तियों को समाप्त करने के लिए आस्ति पुनःसंरचना कम्पनी का गठन एक दूसरा माध्यम है । आस्ति पुनःसंरचना कम्पनी तंत्र की कार्य प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कानूनी सुधार करने का भारत सरकार का प्रस्ताव है ।

बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा उधारकर्ताओं / संभावित उधारकर्ताओं संबंधी जानकारी की साझेदारी के लिए एक संस्थागत तंत्र की आवश्यकता के मद्देनजर ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (सीआइबीआइएल) का गठन किया गया है तथा जल्द ही किसी तारीख को इसका परिचालन शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । बैंकों तथा अधिसूचित वित्तीय संस्थानों को निदेश दिया गया है कि वे 31 मार्च 2003 तक रिज़र्व बैंक तथा सीआइबीआइएल दोनों को ही वाद दाखिल खाते संबंधी आंकड़ों की समानांतर रिपोर्टिंग करें तथा 1 अप्रैल 2003 से ऐसी रिपोर्टिंग केवल सीआइबीआइएल को करें ।

इन प्रक्रिया तंत्रों के फलस्वरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूलियों / उनकी कमी में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा वसूली की यह राशि 1998-99 के 9,716 करोड़ रुपए से बढ़कर 2001-02 के दौरान 17,588 करोड़ रुपए की हो गई है (सारणी) ।

सारणी : गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली

(करोड़ रुपये)

	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	जोड़
1	2	3	4
1998-99	8,438	1,278	9,716
1999-2000	10,367	1,605	11,972
2000-01	13,628	2,780	16,408
2001-02 (अ)	14,226	3,362	17,588

अ : अनंतिम

सहायता के रूप में 1300 करोड़ रुपये दिये गये । अतिरिक्त पुन: पूंजीकरण पर निर्णय लेने से पहले सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा इन बैंकों के कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखी जाएगी । 1995-96 से लगातार हानि दर्शाने के बाद इंडियन बैंक ने 2001-02 में पलटा खाया और 33 करोड़ रुपये का निवल लाभ दर्शाया । 31 मार्च 2002 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक, युनाइटेड बैंक तथा इंडियन बैंक का सी आर ए आर क्रमश: 9.6 प्रतिशत, 12.0 प्रतिशत तथा 1.7 प्रतिशत हो गया है ।

10.34 कमजोर बैंकों को सुधारने के तीन विकल्पों में से पुनः पूंजीकरण एक विकल्प है, अन्य दो विकल्प हैं - छंटनी का मार्ग तथा अन्य संस्थाओं के साथ विलय (बाक्स X.3) ।

सारणी 10.4 : गैर-निष्पादक आस्तियों के समाधान हेतु चुनिंदा देशों द्वारा हाल ही में की गई पहल

देश	पहल
1	2
1. जापान	यह अपेक्षा की गई है कि एन.पी.एल. (गैर-निष्पादक ऋणों) का समाधान तीन सालों के भीतर कर दिया जाए । एन पी एल के अंतिम समाधान को बढ़ावा देने तथा उसे तेज करने के विभिन्न उपायों में बैंकों की अपनी आस्तियों के स्वमूल्यांकन में सुधार लाने के लिए विशेष निरीक्षण करना तथा समाधान एवं संग्रहण निगम की गतिविधियों में तेजी लाना शामिल है ।
2. थाईलैंड	थाई दिवालियापन अधिनियम 1998 में बना तथा बाद में उसे 1999 में संशोधित किया गया, कंपनियों के ऋणों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने के लिए न्यायालय द्वारा नियंत्रित कानूनी व्यवस्था स्थापित की गई, न्यायालय से बाहर ऋणों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने के समझौते के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये । कंपनियों के ऋणों की पुनःसंरचना को प्रोत्साहित करने के लिए ऋणी-ऋणदाता तथा अंतर-ऋणदाता करारों के रूप में बाह्यकारी ढाँचा बनाया गया, 9 जून, 2001 को "थाई आस्ति प्रबंध कंपनी पर आपात डिगरी" दी गई ।
3. चीन	नये जारी ऋणों की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण और मूल्यांकन पर बल दिया गया तथा एक 'जवाबदेही की बाह्यकारी प्रणाली' शुरू की गई, ऋणोत्तर प्रबंध पर पर्याप्त ध्यान दिया गया, विशेष वसूली दल बनाये गये, गैर-निष्पादक ऋणों की वसूली पर एक मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करके उसमें सुधार किया गया, गैर-निष्पादक ऋणों को कम करने के लिए ऋण पुनर्संरचनात्मक साधनों का प्रयोग किया गया ।
4. कोरिया	गैर-निष्पादक ऋणों की भारी राशियाँ "कोरियाई आस्ति प्रबंध कंपनी (के ए एम सी ओ) को बेच डाली गयी ।" एफएलसी प्रणाली शुरू की गई तथा उसका विस्तार किया गया । यह प्रणाली भविष्य में ऋणों को चुकाने तथा गैर-निष्पादक ऋणों से निपटने की कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करती है । गैर-निष्पादक ऋणों के समाधान में गति लाने के लिए एक निगमित पुनर्संरचनात्मक माध्यम लागू किया गया है ।
5. पाकिस्तान	बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफआइ) से यह अपेक्षा की गई है कि वे पुनः अनुसूचित/पुनः संरचित ऋणों/अग्रिमों के लिए एक साल का प्रावधान करें । बैंकों को निदेश दिया गया है कि अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने का निर्णय उनके बोर्ड द्वारा ही लिया जाए । सक्षम प्राधिकारी के सामने बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व कम्पनी की आर्थिक हालात आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त की जाए । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-निष्पादक ऋणों की पुनः संरचना / उनको परिसमाप्त करने के लिए कंपनी तथा औद्योगिक पुनः संरचना निगम (सीआइआरसी) की स्थापना की गई है ।
6. केन्या	एक "ऋण संदर्भ एजन्सी" गठित की गई है जहाँ बैंकों के बीच, अशोध्य ऋणियों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान किया जा सकता है, कानूनी व्यवस्था को सुधारने की पहल की गई, बैंकिंग क्षेत्र से गैर-निष्पादक आस्तियों को समामेलित करने हेतु एक "गैर-निष्पादक आस्ति वसूली ट्रस्ट" के सृजन का प्रस्ताव रखा गया है ।
7. चेक	राज्य के स्वामित्ववाले तीन बड़े बैंकों के गैर-निष्पादक ऋणों के अधिकांश भागों को, संकटग्रस्त आस्तियों के प्रबंध तथा उनकी वसूली के लिए सरकार द्वारा स्थापित सुविधा "कोन्सोलिडेवनी बैंका" (केओबी) को अंतरित किया गया । परियोजना के प्रायोगिक चरण में केओबी ने 500 मिलियन यूएस डालर के गैर-निष्पादक ऋणों की नीलामी की, संशोधित दिवालियापन अधिनियम सहित अनेक कानूनी सुधार प्रस्तुत किये गये । राज्य के स्वामित्व वाले पुनरुद्धारण एजेन्सी ने आठ बड़ी औद्योगिक कंपनियों को संगठनात्मक तथा पुनःसंरचना हेतु चुना है ।
8. मेक्सिको	सरकारी बाँडों के बदले भारी मात्रा में गैर-निष्पादक ऋण केन्द्रीय बैंक को अंतरित किये गये ।

बाक्स X.3
बैंकों का पुनर्पूंजीकरण एक परिप्रेक्ष्य

एक स्वस्थ तथा सुविनियमित बैंकिंग प्रणाली में, बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पर्याप्त कारोबार निर्मित करें ताकि वे प्रतिधारित आय का पूंजी के रूप में पुनर्निवेश कर सकें । यह आशा की जाती है कि बाजार अनुशासन तथा पर्यवेक्षी हस्तक्षेप कमजोर संस्थाओं को अलग कर सकते हैं तथा उनमें नैतिक खतरे को न्यूनतम कर सकते हैं । यदि बैंकिंग प्रणाली दबाव का अनुभव करती तो बैंकों की व्यापक असफलताओं से सम्बद्ध संभावित ऋणात्मक बाह्य प्रभाव ऐसे विशेष हस्तक्षेप की माँग कर सकते हैं जो बाजार या मानक पर्यवेक्षी साधनों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता । ऐसी परिस्थितियों में व्यवस्थागत बैंकिंग पुनर्संरचना निरंतर आधार पर महत्त्वपूर्ण बैंकिंग सेवाओं को बनाये रखने के लिए बैंकिंग प्रणाली के महत्त्वपूर्ण भाग को पुनर्जीवित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है ।

किसी भी प्रणालीगत पुनः संरचना की रणनीति में दो उपाय यथा वित्तीय तथा परिचालनात्मक पुनः संरचना आते हैं। सारांश में जहाँ वित्तीय पुनर्संरचना 'स्टॉक' संबंधी मुद्दे को सुलझाने का कार्य करती है वहीं परिचालनात्मक पुनःसंरचना बैंक को होनेवाली हानियों के स्रोतों को दूर करते हुए 'पूंजी प्रवाह' संबंधी समस्याओं को सुलझाती है । पुनः पूंजीकरण वित्तीय पुनः संरचना प्रक्रिया का निर्णायक घटक है । बैंक की निवल मालियत में होनेवाले क्षरण को रोकने के लिए या निर्धारित पूंजी-पर्याप्तता मानदंडों को प्राप्त करने में सहायता देने की आवश्यकता के कारण पूंजी प्रदान किये जाने हेतु अक्सर बाध्यता हो जाती है ।

ऐसे कई प्रकार हैं जिनसे ऐसा पूंजी निवेश किया जा सकता है । प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि करना पुनः पूंजीकरण का अधिमानित रूप है । इसमें वर्तमान स्वामियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक को नकदी प्रदान करें । विकल्प रूप में बैंकिंग कम्पनी के मालिक गौण दीर्घावधि ऋण जारी कर सकते हैं । इससे विनियामक पूंजी बढ़ जाएगी (परन्तु शेयर पूंजी नहीं) तथा इससे बैंक को नई अर्जक आस्तियाँ प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त निधियाँ उपलब्ध हो सकेंगी । राज्य के स्वामित्ववाले वाणिज्यिक बैंकों के मामले में, पुनःपूंजीकरण हेतु सार्वजनिक धन उपलब्ध कराने के लिए सरकार के सामने सीमित अवसर ही हैं । जैसे फिनलैंड (1993-94), फिलिपीन (1986), स्वीडन (1991) में किया गया, वैसे ऐसी सहायता 'नकदी के रूप में की जा सकती है या चिली (1982-83), हंगरी (1993-94) तथा मारिशियाना में किये गये अनुसार परक्राम्य/गैर-परक्राम्य बांडों के रूप में की जा सकती है । फिर भी, पूंजी में सरकारी अंशदान से राजकोष पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । इसके अलावा, उक्त सहायता से ऐसी प्रत्याशा उत्पन्न हो जाएगी कि आगे भी सहायता मिलती रहेगी जिससे भविष्य में खराब प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ।

पुनःपूंजीकरण की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह रहा है कि क्या बैंकों का पुनःपूंजीकरण उनकी कंपनी के रूप में निगमित करने के बाद किया जाए या उससे पहले । एक पूर्व प्रत्याशित पुनःसंरचना के अंतर्गत, संभावित हानियों के निर्धारण के आधार पर सरकार द्वारा बैंकों का पुनःपूंजीकरण किया जाता है । पुनःपूंजीकरण के अवसर पर या उसके बाद कुछ ऋणों को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को अंतरित किया जाता है । प्रत्याशित पुनःपूंजीकरण तेजी से किया जा सकता है तथा वह बाजार को एक सकारात्मक संकेत प्रदान करेगा, बशर्ते कंपनी संचालन तथा बैंकिंग परिचालनों में मौलिक सुधार हो गया हो । इससे, यदि पुनःपूंजीकरण की यथोचित रूप से निगरानी की जाए, तो अन्ततः लागत में भी कमी आयेगी । इसके विपरीत, यदि सरकार, कम्पनी संचालन तथा बैंकिंग परिचालनों में कोई परिवर्तन किये बिना ऐसी प्रणालीगत दिवालियापन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए नियमित रूप से पूंजी निवेश करती है तो प्रत्याशित पुनःपूंजीकरण प्रक्रिया में बड़ा जोखिम होने की संभावना है ।

दूसरी ओर पुनःसंरचना के पश्चात पुनःपूंजीकरण के मामले में, बैंकों को सार्वजनिक निधियां तभी प्राप्त हो पाएंगी जब वे कंपनियों को राहत प्रदान करेंगे। इसमें आवश्यक सुधार करने के लिए ज्यादा समय मिलता है तथा वास्तविक वित्तीय एवं परिचालनात्मक पुनःसंरचना के संबंध में बैंकों और कंपनियों के बीच जल्दी ही सहमति उत्पन्न होने के लिए दबाव बनाये रखा जाता है । पुनः संरचनात्मक प्रणाली का समुचित डिज़ाइन राज्य तथा समग्र व्यापक आर्थिक वातावरण तथा संस्थागत ढाँचा सहित विशेष परिस्थितियों पर निर्भर होता है ।

भारत में, वित्तीय क्षेत्र में किये गये सुधारों के लगभग साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र के पुनःपूंजीकरण की प्रक्रिया 1993-94 में प्रारंभ की गई थी । 1992-93 से 1998-99 तक की अवधि के दौरान सरकार ने 20,446 करोड़ रुपये पूंजी अंशदान के रूप में दिये । वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान बैंकों को कोई पुनःपूंजीकरण सहायता नहीं दी गई । सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों की पुनःसंरचना पर कार्यदल (अध्यक्षः श्री एम.एस. वर्मा) ने यह मत व्यक्त किया है कि प्राप्तकर्ता बैंक के परिचालनात्मक तथा प्रबंधकीय पहलुओं से संबंधित कड़ी शर्तों के अधीन ही पुनः पूंजीकरण किया जाना चाहिए । बाद में, 2000-2001 के केन्द्रीय बजट में घोषित किया गया कि निर्धारित पूंजी-पर्याप्तता मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए सरकार कमजोर बैंकों के पुनःपूंजीकरण पर विचार करेगी, बशर्ते संबंधित बैंकों द्वारा अपने मालिक तथा नियामक को अर्थात सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को स्वीकार्य एक लाभदायक पुनःसंरचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए । तदनुसार, वर्ष 2001-2002 के दौरान एक राष्ट्रीयकृत बैंक को 1300 करोड़ रुपये दिये गये जिसके साथ पुनःपूंजीकरण से संबंधित कुल राशियाँ 21,746 करोड़ रुपये हो गई हैं ।

संदर्भ

1. एलेक्जेन्डर, डब्ल्यू, जे. डेविस, एल.एब्रिल तथा सी.जे. लिंडग्रेन (1997), *सिस्टेमिक बैंक रीस्ट्रक्चरिंग एण्ड मैक्रोइकोनामिक पॉलिसी,* आईएमएफः वाशिंग्टन
2. ईनोक, सी.जी. गार्शिया तथा वी. सुन्दरराजन (2001), *री-कैपिटलैसिंग बैंक्स विथ पब्लिक फण्डस, आइएमएफ स्टाफ पेपर्स,* खंड-48 ।
3. भारत सरकार, 2002-2003, केन्द्रीय बजट भाषण ।
4. रंगराजन सी. (1998), *इंडियन इकोनामी : एस्सेज इन मनी एण्ड फाइनेन्स,* यूबीएस पब्लिशर्स ।

निजी क्षेत्र के बैंकों के शेयरों का निर्गम तथा उनका मूल्य निर्धारण

10.35 निजी क्षेत्र के बैंकों के शेयरों के निर्गम तथा उनके मूल्य निर्धारण संबंधी मानदंड संशोधित किये गये हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना, अधिकार शेयरों के निर्गम तथा मूल्य निर्धारण करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है । इसके अलावा, बोनस शेयरों को अधिकार शेयरों से अब अलग कर दिया गया है । यद्यपि प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमों (आइपीओ) तथा अधिमान्य निर्गमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है, फिर भी शेयर

बाजारों में अपने शेयर सूचीबद्ध हो जाने के पश्चात परवर्ती निर्गमों का मूल्य निर्धारित करने के लिए बैंक स्वतंत्र होंगे । निर्गम मूल्य किसी व्यापारी बैंकर की सिफारिशों पर आधारित होना चाहिए । सूचीबद्ध बैंकों के अधिमान्य शेयरों का मूल्य निर्धारण सेबी के फार्मूला के अनुसार किया जाना चाहिए, असूचीबद्ध बैंकों के लिए, किसी सनदी लेखाकार या व्यापारी बैंकर द्वारा उचित मूल्य का निर्धारण किया जाएगा । इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया है कि बैंकों को बोनस शेयरों का निर्गम करते समय 'सेबी' की अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए ।

विदेशी बैंकों के सहायक बैंक

10.36 भारत में, अभी तक विदेशी बैंकों को अपनी शाखाएं खोलने के लिए अनुमति दी जाती थी, परन्तु सहायक संस्थाएं स्थापित करने के लिए नहीं । 2002-03 के केन्द्रीय बजट में घोषित किया गया कि उक्त नियंत्रण को हटा दिया जाए तथा विदेशी बैंकों को सहायक संस्थाएं स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए । किसी विदेशी बैंक के सामने यह विकल्प होगा कि वह या तो सहायक संस्था स्थापित कर सकता है या अपनी कई शाखाएं खोल सकता है (बाक्स X.4) । ऐसी सहायक संस्थाओं को, अन्य घरेलू बैंकों पर लागू प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम देने संबंधी मानदंडों सहित सभी विनियमों का अनुपालन करना होगा । उक्त सहायक संस्थाओं के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत मतदान अधिकार की अधिकतम सीमा में छूट दी जाने हेतु बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में आवश्यक संशोधन लाया जाएगा । इस संबंध में दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किये जा रहे हैं ।

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मंडल की भूमिका पर परामर्शदात्री समूह

10.37 बैंकों के बोर्डों की पर्यवेक्षी भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों के परामर्शदात्री समूह (अध्यक्ष : डा. ए.एस. गांगुली) ने महत्त्वपूर्ण सिफारिशें कीं । इन सिफारिशों में बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में और एक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति करना, निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों की नियुक्ति के लिए उनके पूर्व वृत्त/ कार्य-निष्पादन के बारे में अध्ययन रिपोर्ट की प्रक्रियाएं अपनाना,

बाक्स X.4

विदेशी बैंकों द्वारा स्थानीय स्तर पर निगमित सहायक संस्थाओं की स्थापना करना

बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर नरसिंहम समिति ने यह सिफारिश की थी कि विदेशी बैंकों को शाखाओं के अलावा सहायक संस्थाओं या संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने की अनुमति भी प्रदान की जाए जिन्हें ऐसी सहायक संस्थाओं या संयुक्त उद्यमों को जिन्हें अन्य निजी बैंकों के समकक्ष समझा जाना चाहिए तथा शाखाओं एवं निदेशित ऋण के संबंध में उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो निजी बैंकों पर लागू हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शाखाओं बनाम सहायक संस्थाओं के मुद्दे पर विभिन्न देशों में अपनाई जानेवाली प्रथाएं काफी अलग-अलग हैं । एशिया के अधिकांश देशों में मात्र शाखाओं के माध्यम से विदेशी बैंकों के लिए प्रवेश की अनुमति दी जाती है । इसके अपवाद हैं - मलेशिया (जो मात्र सहायक संस्थाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है), सिंगापुर तथा फिलीपीन (जहाँ विदेशी बैंक, शाखा और सहायक संस्था दोनों रूप में परिचालन कर सकते हैं) । जहाँ इजराईल विदेशी बैंकों के लिए यह अनुमति देता है कि वे या तो शाखा स्थापित कर सकते हैं या सहायक संस्था, वहीं दक्षिण अफ्रीका, मध्य यूरोपीय तथा दक्षिण अमेरिकी देश इस विषय में काफी लचीले रहे हैं तथा दोनों अस्तित्वों पर समान तथा समेकित आधार पर पर्यवेक्षण करते हुए, निर्णय लेने का अधिकार विदेशी बैंकों पर छोड़ दिया है । शाखा या सहायक संस्था के रूप में प्रवेश के तुलनात्मक गुण-दोष नीचे दिये गये हैं ।

मुद्दे / क्षेत्र	सहायक संस्थाओं की तुलना में शाखाओं की स्थिति
1	2
मूल बैंक की वित्तीय शक्ति	अपने मूल बैंक में उसकी पहुँच किसी शाखा की मुख्य सुविधा मानी जाती है । सहायक संस्थाएं ऐसे एकल अस्तित्व हैं जो केवल संकट निवारण के लिए ही अपने मूल बैंक से निधियाँ प्राप्त कर सकती हैं । वास्तव में, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचालन करनेवाली किसी भी बैंकिंग संस्था के लिए, अपनी प्रतिष्ठा पर होनेवाले पर्याप्त हानिकारक प्रभाव को देखते हुए अपनी किसी सहायक संस्था को असफल होते हुए देखना कठिन होगा ।
मूल बैंक की पूंजी के प्रति पहुँच	पूंजी के संबंध में, शाखा होने के कारण उसे सहायक संस्था के ऊपर कोई खास फायदा नहीं होता है । ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थानीय पूंजी भारत में शाखाओं के कार्यकलापों का नियंत्रण करती है, जिसमें निर्धारित विनियामक पूंजी तथा स्थानीय प्रारक्षित निधियों तथा वर्षों से इकट्ठे हुए गैर-विप्रेषित लाभ शामिल हैं तथा जिसे व्यक्तिगत/सामूहिक उधारकर्ताओं को जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) तथा ऋण निवेशों के रूप में मान्यता दी गई है ।
प्रवेश मानदंड	सहायक संस्थाओं के लिए अधिक कठिन है । गंभीर न पायी जानेवाली तथा अल्प सीमित क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को बाहर कर दिया जाएगा ।
पर्यवेक्षण	शाखाएं तथा सहायक संस्थाएं, दोनों देशीय नियामकों के घनिष्ठ पर्यवेक्षण के अधीन आयेंगी । अतः, शाखा की तुलना में सहायक संस्था को कोई असुविधा नहीं हैं ।
प्रौद्योगिकी तथा जोखिम प्रबंध प्रणालियों को लाना	इसके लिए ज्यादा संभावना है कि सहायक संस्थाएं नई प्रौद्योगिकी तथा जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ लेकर आयें । शाखाओं की प्रणाली मूल प्रणालियों के अनुरूप होंगी तथा स्थानीय स्थितियों के लिए उचित समाधान प्रदान करने के लिए वे अक्षम होंगी ।
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित लक्ष्य	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित लक्ष्यों के संबंध में शाखाओं को छूट दी जाती है । सहायक संस्थाओं से वही अपेक्षाएं की जाती हैं जो भारतीय बैंकों पर लागू हैं ।

स्वतंत्र/गैर-कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करने के लिए बैंक बोर्डों की नामांकन समितियाँ स्थापित करना तथा बैंकों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के लिए व्यावसायिक तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों का समूह बनाना शामिल हैं । इन सिफारिशों में स्वतंत्र/गैर-कार्यकारी निदेशकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों तथा उनके प्रशिक्षण एवं पारिश्रमिक, बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए निदेशकों की समानता, बोर्ड से/को सूचना-प्रवाह, बोर्ड की वित्तीय समितियों की संघटना आदि पर भी ध्यान संकेन्द्रित किया गया है । इस समूह की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है । बाद में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा लोकल एरिया बैंकों को छोड़कर अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से यह अनुरोध किया है कि वे अपने निदेशक मंडल के समक्ष यह रिपोर्ट तथा सिफारिशों की सूची रखें । बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों के आधार पर बैंकों द्वारा उक्त सिफारिशें मान ली जा सकती हैं तथा बैंक उनका कार्यान्वयन कर सकते हैं । उक्त समूह की कुछ सिफारिशों के विधायी संशोधन की आवश्यकता है और इन्हें सरकार के विचारार्थ भेज दिया गया है ।

अप्रत्यक्ष निगरानी तथा चौकसी (ओएसएमओएस)

10.38 दो प्रत्यक्ष निरीक्षणों के बीच में बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के मुख्य उद्देश्य से 1995 में शुरू की गई अप्रत्यक्ष निगरानी तथा चौकसी (ओस्मोस) प्रणाली के अधीन बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक को 14 डीएसबी विवरणियाँ भेजें, जिनमें 12 तिमाही विवरणियाँ और 2 वार्षिक विवरणियाँ शामिल हैं । अप्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से कुछ विवरणियों की आवृत्ति में वृद्धि करके अक्तूबर 2001 से उन्हें मासिक कर दिया गया है । मासिक डीएसबी विवरणियों में आस्तियों, देयताओं तथा तुलनपत्र से इतर जोखिम, संवेदनशील क्षेत्रों में किये गये निवेशों में जोखिम, घरेलू तथा विदेशी मुद्रा दोनों में ब्याज दर और चलनिधि तथा घरेलू सहायक संस्थाओं के परिचालनों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं । नियमित समीक्षाओं तथा विश्लेषणों के अलावा, “ओस्मोस” आंकड़ों का प्रयोग व्यापक विवेकपूर्ण संकेतकों पर अर्धवार्षिक समीक्षा तैयार करने के लिए मुख्य इनपुट के रूप में किया जाता है ।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

10.39 उन निर्धारित बैंकों पर तथा बैंकों के अन्दर उन विशिष्ट क्षेत्रों पर, जो प्रणाली के लिए अधिकतम जोखिम कारक बन सकते हैं, ध्यान केन्द्रित करते हुए पर्यवेक्षी संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग करने हेतु जोखिम आधारित पर्यवेक्षण परियोजना (आरबीएस) को जून 2001 में लागू किया गया । प्राइसवाटरहाउस - कूपर्स, लंदन की सिफारिशों पर आधारित जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) अपनाने को आसान बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में गठित एक परियोजना कार्यान्वयन समूह द्वारा संक्रमणात्मक तथा प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान किया जा रहा है । जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लिए पृष्ठभूमि, उद्देश्यों, इसमें निहित प्रक्रियाओं, तथा बैंक विशेष के स्तर पर अपेक्षित तैयारियों के बारे में एक चर्चा पत्र बैंकों के बीच परिचालित किया गया था । उन क्षेत्रों को पहचानने के लिए, जिन्हें सहायता/मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है, उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन करके उन्हें (बैंकों को) भी परामर्शदात्री प्रक्रिया में शामिल किया गया है । जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का मुख्य आधार बैंकों के जोखिम स्वरूप का समेकन है । परियोजना कार्यान्वयन समूह ने जोखिम स्वरूप के समेकन के लिए एक प्रारूप (टेम्प्लेट) निर्धारित किया है जिसे बैंकों के बीच उनके सुझाव एवं भावी स्वीकरण हेतु परिचालित किया गया है ।

पर्यवेक्षी क्रम निर्धारण

10.40 भारत में परिचालन करने वाले बैंकों की पर्यवेक्षी क्रम निर्धारण (रेटिंग) प्रणाली भारतीय बैंकों केलिए “कैमल्स” (सीएएमईएलएस) माडल तथा भारत में स्थित विदेशी बैंक शाखाओं के लिए “सीएसीएस” माडल 1998-99 से मौजूद है । कुछ क्रम निर्धारण घटकों में मौजूद व्यक्तिनिष्ठता को न्यूनतम करने तथा संमिश्र क्रमनिर्धारण प्रणाली को अधिक विस्तृत आधारित बनाने हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान तथा भारतीय साख दर निर्धारण एवं निवेश सेवा लि. (क्रिसिल) के अधिकारियों के एक कार्यदल ने पर्यवेक्षी क्रम निर्धारण माडलों की समीक्षा की है । उक्त समूह की सिफारिशों के आधार पर, एक संशोधित क्रम निर्धारण माडल विकसित किया गया है, जिसके अधीन भारत स्थित विदेशी बैंक शाखाओं के क्रमनिर्धारण में “चलनिधि” को एक घटक के रूप में शामिल किया गया है ।

अन्य पर्यवेक्षी पहल

10.41 प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों पर आधारित एक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई योजना (पी सी ए) पर्यवेक्षी उपकरण के रूप में विकसित की जा रही है । जैसे ही बैंक वित्तीय कमज़ोरी दर्शाने लगेंगे, उसी प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक कारवाई करनी होगी । वर्तमान में उपलब्ध पर्यवेक्षी उपकरणों के अलावा यह उपकरण लाया गया है । इस में परिकल्पित कुछ कार्रवाइयों में सरकार की ओर से कदम उठाया जाना चाहिए । इसलिए उक्त योजना के लिए सरकार के अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया था जो अब प्राप्त हुआ है । सरकारी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए योजना की जाँच की जा रही है ।

10.42 विदेशी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना अपनी टीयर II पूंजी के रूप में गणना किये जाने हेतु, अपने प्रधान कार्यालयों से विदेशी मुद्रा गौण ऋण लेने के लिए अनुमति दी गई है बशर्ते वे इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें ।

कानूनी पहल

10.43 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय कपटपूर्ण व्यवहारों से निपटने के लिए प्रक्रिया संबंधी कानून निर्धारित करने के मामले का अध्ययन करने हेतु सितम्बर 2000 में गठित बैंक में कपटपूर्ण व्यवहारों के कानूनी पहलुओं पर समिति अध्यक्ष : डा. एन.एल. मित्रा ने सितम्बर 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी । कुछ सिफारिशें बिना किसी विधायी परिवर्तन

के लागू की जा सकती हैं । उन्हें 3 मई 2002 को बैंकों को कार्यान्वयनार्थ भेजा जा चुका है।

10.44 रिज़र्व बैंक के अनुरोध पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने, बैंकिंग क्षेत्र की धोखाधड़ियों से संबंधित मामलों पर ध्यान देने के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया । समूह ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2002 में प्रस्तुत की और बैंकों के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक उपायों के साथ-साथ धोखाधड़ियों में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध बैंक की कार्रवाई में होनेवाली देरी को कम करने के उपाय भी सुझाए ।

ऋण सूचना ब्यूरो

10.45 भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लि. (सीआइबीआइएल) जनवरी 2001 में स्थापित किया गया था । सीआइबीआइएल की प्राधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये तथा प्रदत्त पूंजी 25 करोड़ रुपये होगी जिसमें भारतीय स्टेट बैंक तथा आवास विकास वित्त कंपनी (एचडीएफसी) और दो विदेशी भागीदारों की हर-एक की 40 प्रतिशत की शेयर भागीदारी है । कानूनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए तथा उधारकर्ताओं से संबंधित सूचना का संग्रहण प्रसंस्करण तथा उसके आदान-प्रदान के लिए ब्यूरो को अनुमति प्रदान करने की दृष्टि से एक प्रारूप विधेयक मई 2001 में सरकार को प्रस्तुत किया गया । ऋण सूचना ब्यूरो अधिनियम विधेयक का प्रारूप अधिनियम बनने तक, यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रणाली पर कोई असुविधा न होते हुए, चरणबद्ध तरीके से, सार्वजनिक क्षेत्र पर सूचना संग्रहीत एवं प्रसारित करने का कार्य धीरे-धीरे संभालने की अनुमति सीआइबीआइएल को दी जाए । इस दिशा में, अगले साल सीआइबीआइएल के साथ कार्य करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक विचार करेगा ।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी

10.46 2002-03 के केन्द्रीय बजट में यह घोषित किया गया था कि एक प्रायोगिक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) स्थापित की जाएगी जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा बहुपक्षीय एजेंसियों की सहभागिता होगी । यह कंपनी बैंकिंग क्षेत्र की गैर-निष्पादक आस्तियों को समामेलित करने के लिए उपाय प्रारंभ करेगी तथा प्रतिभूतिकृत ऋणों के लिए एक बाज़ार विकसित करेगी (बाक्स X.5) ।

बाक्स X.5

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)। आस्तियों की वसूली एवं परिसमापन से संबंधित कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त करती है । बैंकों द्वारा गैर- निष्पादक आस्तियां एआरसी को बट्टागत मूल्य पर सौंपी जा सकती है । एआरसी का लक्ष्य है बांड जारी करना तथा उधारकर्ता से सीधे वसूली करना । बैंकों के तुलनपत्र में एक बार की गई इस निकासी से बैंक अपने अवरुद्ध ऋणों से बच जाते हैं ।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए विभिन्न वैकल्पिक ढाँचे हो सकते हैं । वे पूर्णतः सार्वजनिक या निजी रूप से स्वाधिकृत हो सकती हैं या दोनों के सम्मिश्रित रूप में। साथ ही वे या तो अलग से पूंजीकृत इकाई के रूप में या पूर्णतः स्वाधिकृत संस्था के रूप में गठित की जा सकती हैं । अनेक देशों में, जिनमें चेक गणराज्य (1995), स्वीडन (1992) तथा थाईलैंड (1998) भी शामिल है, संकट ग्रस्त बैंकों को एक "अच्छा कार्य-निष्पादन वाला बैंक" और एक "खराब कार्य-निष्पादन वाला बैंक" के रूप में विभाजित कर दिया गया । यह दृष्टिकोण संभवतः उस समय सर्वोत्तम होगा जब केवल एक या कुछ बैंक ही गंभीर संकट में पड़े हों । हंगरी में खराब कार्य-निष्पादन वाले बैंकों ने सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जारी किये, जिन्हें अच्छा कार्य-निष्पादन वाले बैंकों द्वारा खरीदा गया । पोलैन्ड में, खराब कार्य-निष्पादन वाले बैंकों की स्थापना अलग अस्तित्व के रूप में नहीं की गई, लेकिन बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे अनर्जक ऋणों के प्रबंधन हेतु एक विशेष संगठनात्मक अनुभाग स्थापित करें । फिर भी, जब ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि खराब कार्य-निष्पादन वाले बैंक की आस्तियां अशोध्य न हो जाएं ।

अमेरिका (1989) में बचत एवं ऋण संकट के दौरान तथा हाल ही में कोरिया (1997) तथा मलेशिया (1998) में अपनाये गये एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के अधीन कई बैंकों के गैर-निष्पादक ऋणों को खरीदने हेतु एक आस्ति प्रबंध निगम स्थापित करना, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुतः संपूर्ण बैंकिंग उद्योग में एक बड़ा "खराब" कार्यनिष्पादन करने वाला बैंक होगा । यदि, अनेक बैंक संकटग्रस्त हैं तथा उनकी अर्जित आस्तियों में कुछ हद तक एकरूपता है तो एकल संस्था बड़े पैमाने पर प्रचुरताजन्य मितव्ययिता का लाभ प्राप्त कर सकती है तथा दुर्लभ प्रबंधकीय प्रतिभाओं का श्रेष्ठतम उपयोग कर सकती है । अन्य देशों ने दोनों दृष्टिकोणों के विभिन्न रूपान्तरों का उपयोग किया है । उदाहरण के लिए, जापान ने "दि जापानी सहकारी ऋण खरीद कंपनी" नामक आस्ति प्रबंध कंपनी की स्थापना निधि क्षेत्र में की है जिसे बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों को बेचा गया । साथ ही, बैंकों को कुछ कर-लाभ भी दिये गये । अपनी सीमित सफलता को देखते हुए, सरकार ने नवम्बर 1998 में एक नई योजना शुरू की जिसके अधीन निरीक्षण एजेन्सी से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के पश्चात संकटग्रस्त बैंक को सरकार के नियंत्रण के अधीन लिया जाएगा । इन तात्कालिक बैंकों (ब्रिज बैंकों) की गैर-निष्पादक आस्तियों को समाधान एवं वसूली संगठन को अंतरित किया जाएगा । इस संगठन को जमा बीमा निगम निधि प्रदान करेगा । शेष अच्छा कार्य-निष्पादन वाले बैंकों को नयी सरकारी धारिता (होल्डिंग) कंपनी की सहायक संस्थाओं के रूप परिवर्तित किया जाएगा ।

भारतीय संदर्भ में, वित्तीय प्रणाली सम्बंधी समिति (अध्यक्ष : श्री एम. नरसिंहम) (1992) ने आस्ति पुनर्निर्माण निधि की स्थापना की सिफारिश की थी जिस पर विभिन्न चिन्ताएं व्यक्त की गईं । पहली, यह महसूस किया गया कि व्यापक भौगोलिक पहुँच के अभाव के कारण जो अन्य बैंकों के पास किसी केन्द्रीकृत अखिल भारतीय निधि, अपने वसूली से संबंधित प्रयासों में सफल नहीं हो पाएगी । दूसरी, इसमें नैतिक खतरे की संभावना है तथा बैंक अपने वसूली कार्यों में सुस्त हो जायेंगे तथा भविष्य में स्वस्थ खाते भी अशोध्य हो जाने का खतरा है । तीसरे, मौजूदा भारी राजकोषीय घाटे को देखते हुए आस्ति पुनर्निर्माण निधि के वित्तीयन में एक बड़ी समस्या होगी । तत्पश्चात, 1998 में बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी समिति (अध्यक्ष : श्री एम. नरसिंहम) ने बैंकों की अवरुद्ध आस्तियों को एक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अंतरित की जाने की सिफारिश की । उसके बाद,

(जारी....)

(समाप्त....)

कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पुनः संरचना संबंधी समिति (अध्यक्ष : श्री एम.एस. वर्मा) ने भी, गैर-निष्पादक आस्तियों को अलग करने तथा उसे एक आस्ति पुनर्निर्माण निधि को अंतरित करने की प्रक्रिया को कमजोर बैंकों के लिए व्यापक पुनःसंरचनात्मक रणनीति के प्रमुख अंग के रूप में माना है ।

उक्त विचार को मान्यता प्रदान करते हुए, 2002-03 के केन्द्रीय बजट में यह प्रस्ताव रखा गया कि जून 2002 तक एक प्रायोगिक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना की जाए । तदनुसार, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतीकरण तथा पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हितों को लागू करने के कार्य को विनियमित करने के लिए जून 2002 में एक अध्यादेश की घोषणा की गयी । यह अध्यादेश भारतीय रिज़र्व बैंक को, अन्य बातों के साथ-साथ आय निर्धारण, लेखांकन मानदण्ड, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने, पूंजी पर्याप्तता आदि के संबंध में तथा निधियों के विनियोजन में नीति निर्धारित करने तथा अनुदेश जारी करने के लिए शक्तियाँ प्रदान करता है ।

संदर्भ

1. भारत सरकार (1998), *बैंकिंग क्षेत्र के सुधार संबंधी समिति की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : श्री एम. नरसिंहम), नई दिल्ली ।
2. क्लिनोबियेल डी. (1999), *दि यूज ऑफ एँसेट मैनेजमेन्ट कंपनीज इन दि रेसोल्यूशन ऑफ बैंकिंग क्राइसेस, वर्ल्ड बैंक पालिसी रिसर्च वर्किंग पेपर।*
3. भारतीय रिज़र्व बैंक (1991), *वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति की रिपोर्ट* (अध्यक्षः श्री एम. नरसिंहम), मुम्बई ।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक (1999), *कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पुनः संरचना पर कार्य समूह की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : श्री एम.एस. वर्मा), मुम्बई ।

सहकारी बैंकिग

10.47 भारत में सहकारी ऋण क्षेत्र में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं तथा शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं । जहाँ राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक तथा प्राथमिक कृषि समितियाँ जिनमें ग्रामीण सहकारी ऋण समितियाँ शामिल हैं, अल्पावधि ऋणों में विशेष रूप से कारोबार करती हैं, वहीं राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तथा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक दीर्घावधि ऋणों तथा अग्रिमों के क्षेत्रों में सक्रिय हैं । जहाँ शहरी सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है, वहीं ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों का पर्यवेक्षण नाबार्ड करता है । राज्य सरकारों द्वारा भी शहरी तथा ग्रामीण सहकारी बैंकों/ समितियों, दोनों के कुछ प्रकार के कार्यों का विनियमन हो रहा है । इसके अलावा, बहु राज्यीय शहरी सहकारी बैंकों का विनियमन केन्द्र सरकार द्वारा भी किया जा रहा है ।

10.48 मार्च 2002 के अंत में, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की संख्या 2090 है जिसमें वेतन अर्जक 89 बैंक तथा परिसमापनाधीन 130 बैंक शामिल हैं । इनमें, 52 बैंक आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा उत्तरप्रदेश में फैले हुए अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक हैं ।

10.49 शहरी सहकारी बैंकों की कुल जमाराशियों के साथ-साथ, ऋणों तथा अग्रिमों की राशियों में भी 2001-02 के दौरान; (क्रमशः 15.1 प्रतिशत तथा 14.1 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (सारणी 10.5) । मार्च 2002 के अंत में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियाँ तथा उधार राशियाँ संपूर्ण शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की जमाराशियों के क्रमशः 35.2 प्रतिशत तथा 35.0 प्रतिशत हैं ।

सारणी 10.5 : शहरी सहकारी बैंकों की जमा राशियां और अग्रिम

(करोड़ रुपये)

मार्च के अंत में	बैंकों की संख्या	रिपोर्ट करनेवाले बैंकों की संख्या	स्वाधिकृत निधियां	जमा राशियां	ऋण और अग्रिम
1	2	3	4	5	6
2000	2,050	1,783	9,314	71,189	45,995
2001	2,084	1,681	10,826	80,840	54,389
2002	2,090	1,854	13,796	93,069	62,060

10.50 2001-02 में 1,854 यूसीबी की उपलब्ध सूचनाएं दर्शाती हैं कि 1,569 यूसीबी ने लाभार्जित किया है जबकि बकाया 285 यूसीबी घाटे में रहे हैं । पिछले वर्ष में, 1,868 यूसीबी की उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, 1,629 यूसीबी ने लाभार्जित किया था जबकि 239 यूसीबी घाटे में रहे थे। घाटा उठानेवाले बैंक या तो कमजोर बैंक के रूप में वर्गीकृत थे या नए बैंक थे जिन्हें आरंभिक परिचालनात्मक खर्चों के कारण हानि उठानी पड़ी । 52 अनुसूचित यूसीबी में से, 2000-01 के 11 बैंकों के मुकाबले 2001-02 में 10 बैंकों ने हानि दर्शाई ।

10.51 1,942 रिपोर्ट करने वाले यूसीबी के सकल एनपीए मार्च 2001 के अंत में कुल अग्रिमों का 16.1 प्रतिशत या 9,245 करोड़ रु. रहा, जबकि मार्च 2000 के अंत में रिपोर्ट करने वाले 1,866 यूसीबी का सकल एनपीए कुल अग्रिमों का 12.1 प्रतिशत या 5,589 करोड़ रु. रहा मार्च 2002 में समाप्त वर्ष का सकल एनपीए, 1,342 यूसीबी के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, कुल अग्रिमों का 21.9 प्रतिशत या 11,472 करोड़ रु. रहा (चार्ट X.3) । सकल गैर-निष्पादक आस्तियों की इस वृद्धि का मुख्य कारण कतिपय बड़े शहरी सरकारी बैंक रहे हैं ।

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में नीतिगत पहल

पंजीकरण और लाइसेंसिंग

10.52 नए लाइसेंसिंग मानदण्डों के तहत नए शहरी सहकारी बैंकों का गठन करने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए, बैंकिंग, वित्त और सहकारिता के विशेषज्ञों से युक्त एक बाह्य समिति का गठन किया गया था । समिति की भूमिका सलाहकार की है और समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक प्रस्ताव पर निर्णय लेता है ।

10.53 वेतन पाने वालों के बैंकों की शाखा लाइसेंसिंग नीति की

चार्ट X.3 : शहरी सहकारी बैंकों के कुल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए

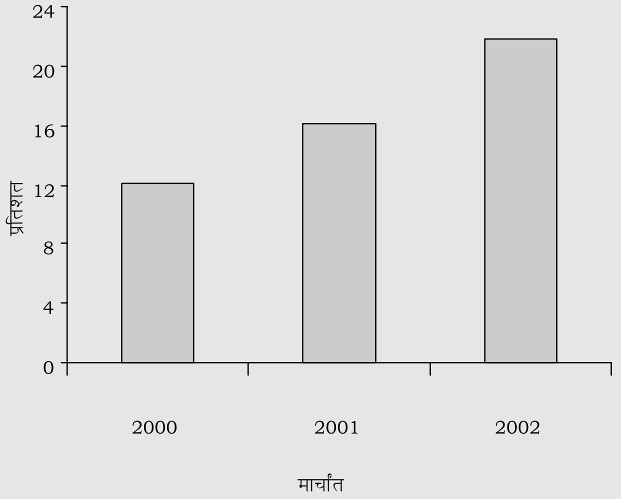

टीप्पणी : मार्च 2002 के आँकड़े 1342 शहरी सहकारी बैंकों के लिए है ।

समीक्षा की गई और यह निश्चय किया गया कि अग्रलिखित मानदण्डों के अधीन वेतन पाने वालों बैंकों को कार्यालय खोलने की अनुमति दी जाए : (i) जहाँ बैंक शाखा खोलना चाहता है वहां के अनुरूप न्यूनतम सदस्यता की अपेक्षा, (ii) पिछले दो वर्षों के दौरान लाभ, (iii) निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर जो कि 10 प्रतिशत से ज्यादा न हो, और (iv) जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात मानदंडों का अनुपालन ।

प्रबंध संबंधी मामले

10.54 शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंध-तंत्र को व्यावसायिकोन्मुखी बनाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों पर गठित उच्चाधिकार समिति (अध्यक्ष : श्री के. माधव राव) ने यह सिफारिश की है कि नव सृजित शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक बोर्ड में सदैव कम से कम दो निदेशक ऐसे हों जिनका उपयुक्त बैंकिंग अनुभव हो या संबंधित व्यावसायिक योग्यता, जैसे कि बैंक लेखांकन/लेखा परीक्षण में अनुभवी सनदी लेखाकार हो । यह निश्चय किया गया कि उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों को समस्त वर्तमान शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लागू किया जाए । सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे इन अनुदेशों के अनुपालन के लिए कदम उठाएं ।

10.55 समस्त शहरी सहकारी बैंकों को लेखा परीक्षा के कार्यों को देखने के लिए बोर्ड की एक लेखा-परीक्षा समिति बनाना आवश्यक है । नई शाखा खोलने के लिए इसका अनुपालन पूर्व-शर्त होगी ।

विवेकसम्मत दिशा-निर्देश

10.56 शहरी सहकारी बैंकों के मुख्य जोखिम के प्रभावक्षेत्र में केवल ऋण जोखिम ही नहीं, अपितु ब्याज दर जोखिम भी आता है । इस संदर्भ में, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जोखिम और आस्ति-देयता प्रबंध (एएलएम) सिद्धांत का अनुपालन महत्त्वपूर्ण हो जाता है । कार्य समिति की सिफारिशों के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे । शुरू में, ये दिशा-निर्देश अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों पर लागू किए गए हैं जिन्हें 30 जून 2001 तक एक प्रभावी आस्ति देयता प्रणाली शुरू करनी है ।

10.57 अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों की दिशा में बढ़ने की दृष्टि से वाणिज्यिक बैंकों की भांति किसी खाते को गैर-निष्पादक के रूप में वर्गीकृत करने के मानकों को 31 मार्च 2004 से वर्तमान के 180 दिन से घटाकर 90 दिन कर दिया जाएगा । तथापि, 31 मार्च 2002 की समाप्ति से आरंभ हो रहे वर्ष में 31 मार्च 2004 से बदलने वाले 90 दिन के मानक को आसानी से पूरा करने के लिए गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु शहरी सहकारी बैंकों को अतिरिक्त प्रावधान करने होंगे ।

10.58 अर्धवार्षिक अंतराल पर उच्चतम निवेश सीमा के निर्धारण के लिए तुलन-पत्रक तिथि के पश्चात शेयर पूंजी में अनुवृद्धि या कमी को ध्यान में रखा जाए और बैंक, यदि वे ऐसा चाहें तो, 30 सितंबर को उपलब्ध शेयर पूंजी की राशि को ध्यान में रखते हुए नई निवेश सीमा निर्धारित कर सकते हैं । शेयर पूंजी के अलावा पूंजी निधि में होनेवाली अनुवृद्धि की गणना निवेश की उच्चतम सीमा के लिए नहीं की जाएगी । बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य की तारीखों में पूंजी के आने की अपेक्षा में, वे निवेश की उच्चतम सीमा से अधिक निवेश न स्वीकारें ।

10.59 शहरी सहकारी बैंकों को स्थावर संपदाओं की जमानत पर अंधाधुंध वित्तीय सहायता देने के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी और जनवरी 1994 में जारी रिज़र्व बैंक की मार्गदर्शी नीति का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई थी ।

ब्याज दरें

10.60 शहरी सहकारी बैंकों को विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली मीयादी जमा राशियों पर अपने ब्याज दर की समीक्षा करने और उसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देय दर के समतुल्य लाने के लिए कहा गया । दूसरी ओर ऋण देने के बारे में "मूल उधार दर" और "ब्याज दर सीमा" को आत्म-नियंत्रित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए न्यूनतम उधार दर की शर्त को समाप्त कर दिया गया और अब शहरी सहकारी बैंक अपनी उधार दर को निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं । तथापि, ग्राहकों के सूचनार्थ उन्हें अपनी अधिकतम और न्यूनतम ब्याज दर को प्रकाशित करना होगा ।

शहरी सहकारी बैंकों का "कमजोर" और "बीमार" के रूप में वर्गीकरण

10.61 शहरी सहकारी बैंकों पर उच्चाधिकार समिति (अध्यक्ष : के. माधव राव) की सिफारिशों के अनुसरण में 31 मार्च 2002 से शहरी सहकारी बैंक तभी "कमजोर" के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे

जब वे जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के निर्धारित स्तर का 75% प्राप्त करने में असफल रहे हों या उनका निवल गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात 10 प्रतिशत से ज्यादा हो, या पिछले तीन में से दो वर्षों में उन्होंने घाटा उठाया हो । ये तभी "बीमार" वर्गीकृत किए जाएंगे जब वे जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात के निर्धारित स्तर का 50 प्रतिशत प्राप्त करने में असफल रहे हों और जिनकी निवल गैर-निष्पादक आस्तियां 15 प्रतिशत से ज्यादा हो या जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में लगातार घाटा उठाया हो । शहरी सहकारी बैंकों को स्वतः या बैंक प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता से अपने पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना तैयार करनी चाहिए । सुधारों में हो रही प्रगति को जांचने के लिए बैंक स्तरीय सुधार समीक्षा समिति के गठन की प्रणाली बंद कर दी गयी है ।

गैर-निष्पादक आस्तियों से संबंधित पहल

10.62 शहरी सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों के आपसी समझौते पर आधारित निपटान पर राज्य सरकारों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, कुछ राज्य सरकारों ने उनके अधिकार-क्षेत्र में आने वाले शहरी सहकारी बैंकों को योजना के तहत बकायों के निपटान के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं ।

पर्यवेक्षी उपाय

10.63 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यस्थल से दूर रहकर (अप्रत्यक्ष) निगरानी करने की प्रणाली शुरू की गई । इसमें विभिन्न लक्षणों के मद्देनजर उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए अर्ध-वार्षिक अंतराल पर विवरण मंगाये जाते हैं । बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का सत्यापन प्रत्यक्ष (स्थल पर जाकर किये गये) निरीक्षण के माध्यम से किया जाए । स्थान से दूर रहकर निगरानी की व्यवस्था समस्त शहरी सहकारी बैंकों के लिए की जाएगी ।

10.64 शहरी सहकारी बैंकों को कठोर पर्यवेक्षी प्रणाली के तहत लाने के लिए, शहरी सहकारी बैंकों के लिए वाणिज्यिक बैंकों की भांति योग्यता निर्धारण प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता महसूस की गई । तदनुसार इस क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक उपयुक्त योग्यता निर्धारण प्रणाली तैयार करने के लिए, एक कार्य समूह की नियुक्ति की गई । समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों तथा उन्हें लागू करने के तौर-तरीकों की जांच की जा रही है ।

नया शीर्ष पर्यवेक्षी निकाय

10.65 सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में हाल में आई समस्याओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विनियामक और पर्यवेक्षी नियंत्रण की वर्तमान दोहरी /तिहरी प्रणाली सहकारी बैंकों के उनके जमाकर्ताओं के हितों के अनुरूप दक्षतापूर्ण कार्य करने में सहायक सिद्ध नहीं हुई है । जुड़े हुए स्थानीय हितों को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान में यह भी स्पष्ट है कि केन्द्र / राज्य सरकार स्तर पर पर्यवेक्षी और विनियामक जिम्मेदारी हटाने और इसे पूर्णतः रिज़र्व बैंक को सुपुर्द करने पर भी सर्वसम्मति नहीं है । परिणामस्वरूप, कई सहकारी संस्थानों का प्रबंधन और बोर्ड वास्तविक सहकारिता की भावना की पूर्ति करने के बजाय राजनैतिक हितों की पूर्ति करना जारी रखे हुए हैं और अपने परिचालनों में ये सामान्य बैंकिंग के प्रति भी सदैव उत्तरदायी नहीं होते हैं । रिज़र्व बैंक ने केंद्र, राज्य और सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधियों को लेकर एक अलग पर्यवेक्षी प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव रखा है । ऐसा निकाय सहकारी संस्थानों के दक्षतापूर्ण संचालन और लोक जमा राशियों की सुरक्षा के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा । भारत सरकार की सलाह और शहरी सहकारी बैंकों पर गठित उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के अनुरूप, रिज़र्व बैंक को ज्यादा शक्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन के लिए एक वैधानिक विधेयक का प्रारूप भारत सरकार के पास भेजा गया है ।

सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन में अनियमितताएं

10.66 ब्रोकर संस्थाओं और सहकारिता क्षेत्र के कुछ बैंकों के बीच एसजीएल खातों में असामान्य रूप से ऊंची मात्रा में हुए लेनदेनों का रिज़र्व बैंक द्वारा पता लगाये जाने के पश्चात, नवंबर 2001 में सहकारी बैंकों की संवीक्षा करने पर और साथ ही नाबार्ड के निरीक्षण से रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का व्यापक रूप से उल्लंघन करने के और कुछ मामलों में तो जालसाजीपूर्ण हुए लेनदेनों का भी पता लगाया गया है । निवेश लेनदेनों से संबंधित ज्यादातर मामलों में उल्लंघन का स्वरूप मोटे तौर पर समायोजन प्रक्रिया में दलालों का उपयोग, एक या कुछ दलालों द्वारा बेमेल लेनदेन, भौतिक रूप में ज्यादा मूल्य के लेनदेन स्वीकार करना, निधियां प्राप्त किए बगैर ही प्रतिभूतियां दे देना, संसाधनों को जुटाने और निधियों के विनियोजन के लिए दलाली फर्मों को मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटर्नी) जारी करना और प्रबंधन तंत्र की निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, लेखा परीक्षा इत्यादि का अभाव है । शहरी सरकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्रतिभूति लेनदेनों की लेखा-परीक्षा किसी सनदी लेखाकार द्वारा करा दें तथा तत्संबंधी रिपोर्ट बोर्ड के सामने प्रस्तुत करें।

10.67 यह निश्चय किया गया कि समवर्ती लेखा-परीक्षक यह भी सत्यापित करेंगे कि प्रत्येक तिमाही के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को बैंकों के पास निवेश और जैसा कि रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किया गया है उसी अनुसार भौतिक प्रतिभूतियों या अभिरक्षक के विवरण में वास्तविक रूप से स्वामित्व रखी है। जिन बैंकों में समवर्ती लेखा-परीक्षा प्रणाली नहीं है वे ऐसा प्रमाणन सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षक से प्राप्त कर सकते हैं ।

10.68 विकास, सुधारात्मक उपाय के सुझाव और समुचित कार्रवाई की निगरानी के लिए आंतरिक समूह गठित किया गया । समूह प्रणालीगत विषयों और प्रतिभूतियों के लेन-देन के साथ-

साथ विशिष्ट मामलों में कार्रवाई के लिए प्रणाली के सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा ।

वित्तीय संस्थान

10.69 2001-02 के दौरान, चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों[1] के विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए उनके वित्तीय निष्पादन के संदर्भ में संसाधन जुटाने के लिए बाजार की प्रतिकूल स्थितियों और बैंकों के साथ बढ़ रही प्रतिस्पर्धा में रिज़र्व बैंक ने अपनी नीतिगत पहल करना जारी रखा है ।

पूंजी-पर्याप्तता

10.70 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आइएफसीआइ) को छोड़कर, समस्त वित्तीय संस्थानों का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात मार्च 2002 की समाप्ति पर 9 प्रतिशत के निर्धारित मानक से ज्यादा था । साख-दर-निर्धारक एजेंसियों द्वारा इसके साख दर को कम करने और ऊंची लागत वाले पुराने ऋणों के चुकाये जाने, चुकौतियों के एक साथ इकट्ठे हो जाने के कारण आइएफसीआइ चुकौती की पैदा हुई गंभीर स्थिति से उत्पन्न आस्ति देयताओं के असंतुलन की समस्या से जूझ रहा है । इन समस्याओं से निपटने और इसकी पूंजी बढ़ाने के उद्देश्य से 1,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश पैकेज का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए का अंशदान भारत सरकार द्वारा नकदी निष्प्रभावीकरण आधार पर किया गया जो कि टीयर I पूंजी के लिए होगा, जबकि बकाया 600 करोड़ रु. का अंशदान बराबर रूप से इसके शेयरधारकों, यथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) (200 करोड़ रुपये), आइडीबीआइ (200 करोड़ रु.) और एसबीआइ (200 करोड़ रु.) द्वारा किया जाएगा ।

गैर-निष्पादक आस्तियां

10.71 बड़े वित्तीय संस्थानों की निवल गैर-निष्पादक आस्तियां मार्च 2001 की समाप्ति पर 8.6 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2002 की समाप्ति पर 8.8 प्रतिशत रही (सारणी 10.6) ।

सारिणी 10.6 चुनिंदा वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादक आस्तियां (मार्च की समाप्ति पर)

(राशि करोड़ रु. में)

वित्तीय संस्थानों का नाम	निवल गैर-निष्पादक आस्तियां			
	मार्चांत 2001		मार्चांत 2002	
	राशि	निवल ऋण का प्रतिशत	राशि	निवल ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5
आइडीबीआइ	8,371	14.8	6,355	13.4
आइसीआइसीआइ	2,982	5.2	$	$
आइएफसीआइ	3,897	20.8	3,873	22.5
आइआइबीआइ	625	22.9	539	24.1
एक्जिम बैंक	407	8.2	448	7.4
टीएफसीआइ	155	20.5	157	20.3
आइडीएफसी	0	0.0	0	0.0
कुल मीयादी ऋणदात्री संस्थाएं	16,437	11.6	11,372	15.0
नाबार्ड	0.2	0.0	0	0.0
एनएचबी	0	0.0	0	0.0
सिडबी	174	1.2	382	2.9
कुल पुनर्वित्तपोषक संस्थाएं	174	0.3	382	0.7
समस्त वित्तीय संस्थाएं	**16,611**	**8.6**	**11,754**	**8.8**

नोट : एनएचबी के लिए खाता बंदी जून के अंत में है ।
टीएलआइ - मीयादी उधारदात्री संस्थाएं
आरएफआइ - पुनर्वित्तपोषक संस्थाएं
चूँकि संघटकों की संख्या में परिवर्तन आया है इसलिए मार्चांत 2001 तथा मार्चांत 2002 के आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती है ।
$ सितंबर - 2001 की समाप्ति पर अनंतिम आंकड़े ।
आंकड़े अनंतिम हैं ।

वित्तीय संस्थानों के लिए नीतिगत पहल

पूंजी पर्याप्तता

10.72 कुछ निश्चित विसंगतियों के निराकरण के लिए 'अनुदान समतुल्यता' की राशि की गणना करने के मानकों में संशोधन किए गए हैं । 20 वर्षीय मूल परिपक्वता अवधि वाले अधिमान शेयरों (वर्तमान के तथा भविष्य में जारी किए जानेवाले भी) के मामलों में, 'अनुदान समतुल्यता' राशि की गणना वित्तीय संस्थानों की टीयर I पूंजी की गणना स्थापित कॉर्पस राशि, लाभांश बहिर्वाह देय कर, नकदी आगम इत्यादि को ध्यान में रखकर की जाएगी । कॉर्पस स्थापित करने के बाद बची राशि यदि पहचानयोग्य निवेश / प्रतिभूतियों में न लगाकर संस्थान की समग्र चलनिधि के हिस्से के रूप में प्रयोग की जाती है तो आय के कारण हुए नकदी आगमों की सैद्धांतिक रूप से गणना संबंधित वित्तीय संस्थान के पिछले वर्ष के दौरान औसत चलनिधि के प्रतिलाभ की दर के समान की जाएगी । अधिमान शेयर / निवेश की अवधि के दौरान लाभांश भुगतान / निवेश आय पर कर की दर में परिवर्तन आ सकता है, अतः वर्ष में एक बार या यदि संभव हो तो एक से ज्यादा बार तुलनपत्र तारीख में गणना की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि ऐसे परिवर्तनों और 'अनुदान समतुल्यता' की राशि का उचित समायोजन हो सके ।

[1] इसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आइडीबीआइ) आइसीआइसीआइ, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आइएफसीआइ), भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि. (आइआइबीआइ), भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि. (टीएफसीआइ), आधारभूत संरचना विकास वित्त निगम लि. (आइडीएफसी), एक्जिम बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) शामिल हैं ।

10.73 वित्तीय संस्थानों से अपेक्षित है कि वे समस्त ऋणों और अग्रिमों पर 20 प्रतिशत जोखिम भार निर्धारित करें जो (अपने स्वयं के कर्मचारियों को दिए जानेवाले) अधिवर्षिता लाभों तथा फ्लैट/मकानों को बंधक रखने से पूर्णतः सुरक्षित होते हैं । स्वयं के कर्मचारियों को मंजूर किए गए समस्त अन्य ऋण और अग्रिम अब 100 प्रतिशत जोखिम भार के अधीन होंगे ।

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

10.74 संस्थाओं को पुनर्वित्त के बारे में यह सूचित किया गया कि सरकार द्वारा गारंटीकृत खातों को भले ही वे बकाया में हों, गैर-निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत न किया जाए और आय निर्धारण के प्रयोजनों के लिए इनकी गणना की जाए । इसके फलस्वरूप, ऐसी आस्तियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं करना है । तथापि, यदि संबंधित राज्य सरकार गारंटी हटा लेती है, तो इसे गैर-निष्पादक आस्ति माना जाए और इसके लिए प्रावधान किया जाए ।

10.75 जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है वे देर तक न खिचें, जिसके कारण उनकी व्यवहार्यता और आस्तियों की गुणवत्ता पर आंच आती है, ऐसी परियोजनाओं को 31 मार्च 2002 से तीन श्रेणियों में रखा जाना है ताकि उनके पूर्ण होने की तारीख का निर्धारण हो सके । इन तीनों श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए उनके पूर्ण होने की तारीख और अन्तनिर्हित ऋण आस्तियों के वर्गीकरण को निश्चित करने के लिए मानदण्ड निर्दिष्ट कर दिए गए हैं ।

गैर-निष्पादक आस्तियों से संबंधित पहल

10.76 बकाया राशियों के समायोजन के लिए दिशा-निर्देशों की अवधि 30 जून 2001 तक बढ़ाई गई थी और वित्तीय संस्थानों को यह बताया गया था कि 30 जून 2001 तक प्राप्त समस्त आवेदनों पर कार्रवाई की जाए और इन पर शीघ्रातिशीघ्र, मगर 30 सितंबर 2001 से पहले निर्णय ले लिया जाए । सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जारी दिशा-निर्देशों को एकसमान रूप से समस्त केंद्रीय सार्वजनिक संस्थानों द्वारा लागू किया जाए ।

10.77 ऋण निपटानों के लिए लोक अदालत संस्था के लाभों को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने मई 2001 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को छोटी राशियों वाले बैंकिंग विवादों को सुलझाने के लिए लोक अदालत फोरम का प्रयोग बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं । अन्य बातों के साथ-साथ ये दिशा-निर्देश राशि की उच्चतम सीमा, उनमें कौन से ऋणकर्ता शामिल किये जा सकते हैं, समझौता का फार्मूला और संस्थागत व्यवस्थाओं से संबंधित हैं ।

10.78 25 अगस्त 2001 को, एक त्रि-स्तरीय कंपनी ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रणाली शुरू की गई । कंपनी ऋण पुनर्संरचना गैर-सांविधानिक स्वैच्छिक प्रक्रिया तंत्र है जो ऋणी-ऋणदाता और अंतर- ऋणदाता करारों पर आधारित है जिसे, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीएफआइआर), ऋण वसूली प्राधिकरण (डीआरटी) और अन्य वैधानिक कार्रवाइयों के क्षेत्राधिकार से बाहर के आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित अर्थक्षम कंपनी इकाइयों के कम्पनी ऋणों की पुनर्संरचना के लिए पारदर्शी प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु बनाया गया है । कंपनी ऋण पुनर्संरचना प्रणाली बैंकों और वित्तीय संस्थानों के 20 करोड़ रु. या उससे ज्यादा के बकाया जोखिमवाले मानक और अवमानक श्रेणी के केवल अनेक बैंकिंग / सामूहिक / संघ के खातों पर लागू होगी । कंपनी ऋण पुनर्संरचना के तहत पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण वित्तीय संस्थानों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 'खातों पर टिप्पणियां' के अंतर्गत (1) ऋण आस्तियों की कुल राशि, (2) मानक आस्तियों की राशि, और (3) ऐसे अवमानक आस्तियों की राशि जो कि कंपनी ऋण पुनर्संरचना के तहत पुनर्संरचना के अधीन है, के रूप में करना होगा ।

आस्ति-देयता प्रबंध के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन

10.79 चूंकि अधिकांश वित्तीय संस्थान अभी भी जोखिम प्रबंध प्रणाली के विकास के आरंभिक स्तर पर हैं । वित्तीय संस्थान बैंकिंग और व्यापार बहियों के लिए अलग-अलग ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए ज्यादा परिष्कृत तकनीक नहीं अपना लेते तब तक 'व्यापार बहियां' आस्ति देयता प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत शामिल करना जारी रहेगा । इस बीच प्रतिभूतियों को व्यापार बहियों में वर्तमान में निर्धारित विकलीकरण समयावधि के बजाए शेष परिपक्वता अवधि या चल दरवाली प्रतिभूतियां पुनर्मूल्य निर्धारित परिपक्वता के अनुसार रखी जा सकती हैं । इस अवधि में संबंधित मदों में तदनुसार संशोधन किए गए ।

अतिरिक्त प्रकटीकरण

10.80 वित्तीय संस्था की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों में बेहतर पारदर्शिता लाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुरूप बनाने की दृष्टि से वित्तीय संस्था को, वित्त वर्ष 2001-02 से अपनी प्रकाशित रिपोर्टों में कुछ अतिरिक्त मानदंडों का प्रकटीकरण करना होगा जैसे कि - (क) गैर-निष्पादक आस्तियां और (ख) निवेश संविभाग में मूल्यह्रास के संबंध में किए गए प्रावधानों में होनेवाली घट-बढ़ । यह प्रकटीकरण खातों पर टिप्पणियों के भाग के रूप में करना होगा ताकि लेखा परीक्षक इसकी सूचना को प्रमाणित कर सकें । भले ही यह सूचना प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई हो । निर्धारित प्रकटीकरण न्यूनतम है और यदि कोई वित्तीय संस्थान इससे ज्यादा प्रकटीकरण करना चाहे तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है ।

बीमा क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों का प्रवेश

10.81 रिज़र्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीमा क्षेत्र में प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश क्रमशः अप्रैल 2000 और जून 2000 के दौरान जारी किए । बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अनुसरण करते हुए, रिज़र्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षण परिधि में आनेवाले कुछ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने भी बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने में अपनी रुचि प्रदर्शित की । तदनुसार, नवंबर 2001 में रिज़र्व बैंक ने बीमा क्षेत्र में उनके प्रवेश के लिए मानक जारी किए ।

व्यापक बैंकों के रूप में परिवर्तन

10.82 जैसा कि पिछले साल की रिपोर्ट में बताया गया है, वित्तीय संस्थाओं को व्यापक बैंकों के रूप में विकसित होने हेतु अपनी संक्रमण नीति तैयार करने के लिए कहा गया था । तदनुसार आइसीआइसीआइ लिमिटेड ने अपने सहायक बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड के साथ पुनः मिलकर स्वयं को व्यापक बैंक के रूप में परिवर्तित करने के प्रस्ताव के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क किया । मुम्बई उच्च न्यायालय ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2002 में उसके लिए अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने विलय को इस शर्त के अधीन अपना अनुमोदन दिया है कि समामेलित संस्था अन्य बातों के साथ-साथ आरक्षित निधियों से संबंधित अपेक्षाओं तथा अन्य विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा करेगी । साथ ही, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को देय ऋण संबंधी लक्ष्यों तथा शेयरों में निवेश जोखिम की सीमा के संबंध में उन्हें रियायतें दी गयी हैं । विलय के बाद उक्त संस्था को बैंक की आस्तियों तथा देयताओं के संपूर्ण संविभाग पर पूंजी पर्याप्तता, आस्ति वर्गीकरण, आय-निर्धारण तथा प्रावधानीकरण आदि के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी तथा बैंकों पर लागू सभी विवेकपूर्ण अपेक्षाओं, दिशानिर्देशों तथा अन्य अनुदेशों का अनुपालन भी करना होगा ।

10.83 इस पर विचार करते हुए कि, आइसीआइसीआइ लिमिटेड द्वारा प्रदत्त अग्रिम, बैंक पर लागू प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त उधार से संबंधित अपेक्षाओं के अधीन नहीं थे, विलय के बाद, बैंक से यह अपेक्षा की गयी है कि वह अपेक्षित 40 प्रतिशत के अलावा अतिरिक्त 10 प्रतिशत अर्थात निवल बैंक ऋण का 50 प्रतिशत बैंक के अग्रिमों के अवशिष्ट भाग में रखें । प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को प्रदत्त उधार के रूप में रखा गया यह अतिरिक्त 10 प्रतिशत उस समय तक रहेंगे जब तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को प्रदत्त कुल उधार बैंक के कुल निवल ऋण के 40 प्रतिशत तक नहीं पहुँच जाता ।

10.84 विलय की तारीख के अनुसार परियोजना वित्त के रूप में अर्जित आइसीआइसीआइ लिमिटेड के निवेशों को शेयरों तथा शेयर योजित लिखतों में निवेश के लिए, अग्रिमों के 5 प्रतिशत निवेश सीमा के बाहर पाँच वर्षों के लिए रखा जाएगा क्योंकि इन निवेशों को न बनाये रखने पर परियोजना की लाभप्रदता तथा विस्तार पर बुरा असर होने की संभावना है । फिर भी, बैंक को उक्त लिखतों को बाजारोन्मुखी करना होगा तथा बैंकों के निवेशों के लिए निर्धारित प्रकार से उनके मूल्य में हुई हानि के लिए यदि कोई हो, प्रावधान करना होगा । उपर्युक्त परियोजना- वित्त के रूप में शेयर निवेशों में होनेवाली किसी भी वर्धमान वृद्धि को बैंक के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत की शेयर-निवेश जोखिम की सीमा के भीतर गिना जाएगा ।

10.85 इसी प्रकार आइडीबीआइ ने स्वयं को निगमित करने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया तथा अपने परिचालनों में अधिक लचीलापन लाने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम के निरसन की अपील की है । सरकार ने उनके प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की है तथा 2002-03 के केन्द्रीय बजट में आइडीबीआइ को निगमित करने तथा उसे अपेक्षित लचीलापन प्रदान करने के लिए आवश्यक विधायी परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव अगले साल लाने के संबंध में घोषणा की है ।

वित्तीय संस्थाओं का पर्यवेक्षण

10.86 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के स्थान पर जाकर प्रत्यक्ष निरीक्षण करना जारी रखा । स्थान पर निरीक्षण करने के प्रक्रिया तंत्र को अधिक मज़बूत बनाने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया कि ऐसा निरीक्षण दो वर्ष में एक बार के बदले हर वर्ष किया जाए । इससे 2001-02 के दौरान पर्यवेक्षण प्रक्रिया की गति बढ़ गयी ।

10.87 एकीकृत पर्यवेक्षी योजना के एक भाग के रूप में स्थान से दूर (ऑफ साइट) निगरानी निरंतर बनाये रखने के लिए जुलाई 1999 में एक विवेकपूर्ण पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली (पी एस आर एस) शुरू की गई । पी एस आर एस विवरणियों पर वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सुझावों को देखते हुए तथा उनका कम्प्यूटेशन आसान बनाने के लिए, कुछ विवरणियों के फार्मेट आशोधित किये गये । सितम्बर 2001 से वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित सभी सात विवरणियों की आवृत्ति तिमाही कर दी गई है ।

10.88 भारत में वाणिज्य बैंकों के पर्यवेक्षी साख निर्धारण के लिए 1998-99 से कैमल माडल (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंध, आय, चलनिधि तथा प्रणालियों) पर आधारित प्रणाली प्रचलित है। एक आंतरिक समूह की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, वित्तीय संस्थाओं के लिए भी 31 मार्च 2002 की स्थिति के संदर्भ में किये जानेवाले वार्षिक वित्तीय निरीक्षण से कैमल्स आधारित पर्यवेक्षी साख निर्धारण माडल लागू कर दिया (राष्ट्रीय आवास बैंक एन एचबी के मामले में 30 जून, 2002) ।

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ

10.89 30 जून 2002 की स्थिति के अनुसार 36,269 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी ओ आर) प्रदान करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए । 14,077 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की स्वीकृति के आवेदन अनुमोदित किये गये, इसमें 784 कंपनियों को जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने

के लिए तथा उसे रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है । 19,109 कंपनियों के मामलों में पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वीकृति के लिए आवेदन अस्वीकृत किये गये या पहले से जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किये गये । अप्रैल 2001 से जून 2002 तक की अवधि के दौरान, 417 कंपनियों का निरीक्षण तथा 2,324 कंपनियों की संक्षिप्त जाँच की गई ।

पूंजी पर्याप्तता

10.90 जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाली तथा रखने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में जनवरी 1998 में जारी पूँजी पर्याप्तता संबंधी मानदंड उन पर 31 मार्च 1998 से लागू किये गये हैं । तदनुसार, सी आर ए आर (जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात) 12 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए तथा (टीयर) II का पूंजी स्तर टीयर I के पूंजी के 100 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए । साख दर निर्धारित किये बिना जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली उपस्कर पट्टे पर देनेवाली तथा किराया खरीद वित्त कंपनियों के लिए कम से कम 15 प्रतिशत का उच्चतर सी आर ए आर निर्धारित किया गया है । इन अपेक्षाओं का अनुपालन रिपोर्टिंग की तारीखों पर ही नहीं, बल्कि निरंतर आधार पर किया जाना है ।

10.91 रिपोर्ट करने वाली 723 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से मार्च 2001 के अंत में 667 कंपनियों (92.3 प्रतिशत) का सी आर ए आर 12 प्रतिशत और उससे अधिक था, जिसमें 534 कंपनियों (73.9 प्रतिशत) का सी आर ए आर 30 प्रतिशत से अधिक रहा है । सितम्बर 2001 की समाप्ति पर, रिपोर्ट करनेवाली 615 कंपनियों में से 570 ने (92.7 प्रतिशत) निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत के समतुल्य या उससे अधिक सी आर ए आर होने की रिपोर्ट की है, जिसमें 448 कंपनियों (72.8 प्रतिशत) का सी आर ए आर 30 प्रतिशत से अधिक हो गया है (चार्ट X.2) ।

चार्ट X 4: एन बी एफ सी को सी आर ए आर का आवृत्ति वितरण

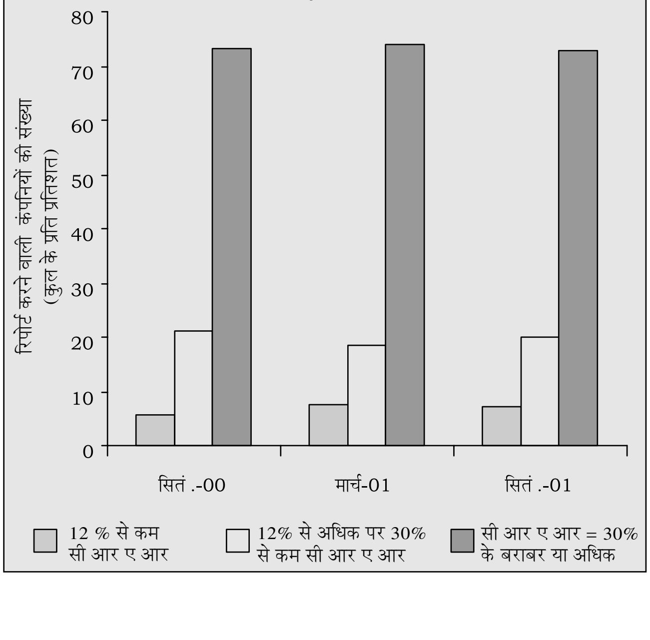

जनता की जमाराशियों पर ब्याज दर

10.92 1 नवम्बर 2001, से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता से प्राप्त जमाराशियों पर देय अधिकतम ब्याज दर को 14 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है तथा ब्याज दर की यह उच्चतम सीमा चिट फंड तथा निधि कंपनियों द्वारा प्राप्त जमाराशियों पर भी लागू है ।

गैर-बैंकिंग कंपनियों का विनियमन

10.93 भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 में समय-समय पर होते रहे आवश्यक संशोधनों के फलस्वरूप जनवरी 1998 में विनियमन ढांचे की घोषणा की गयी । पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए जिन कंपनियों के आवेदन अस्वीकृत या रद्द कर दिये गये हैं उन्हें यह सूचित किया गया है कि वे अपनी वित्तीय आस्तियों का निपटान करें या तीन सालों के अन्दर उन्हें गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के रूप में परिवर्तित करें । भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ शर्तों के अधीन, वाहनों, जहाजों, हवाई जहाजों को दृष्टिबंधक रखकर दिये गये ऋण को उपस्कर पट्टे पर दी गई या किराया खरीद की गई आस्तियों के रूप में मानने की अनुमति दे दी है ताकि उन्हें उपस्कर पट्टे पर देने वाले या किराया खरीद वित्त कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सके । गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन बी एफ सी) तथा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आर एन बी सी) को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के अधीन, सेबी में पंजीकृत किसी डिपाजिटरी के सहभागी के साथ चल आस्ति वाली प्रतिभूतियों को रखने की अनुमति दी गई है । कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमावली का ताल-मेल बनाने के लिए कतिपय परिवर्तन किये गये हैं ।

10.94 निवेशों को चालू तथा दीर्घावधि के रूप में वर्गीकृत करने, विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालनार्थ हानिगत आस्तियों को निर्धारित करने, तथा शीघ्रावधि मांग / मांग ऋणों के संबंध में ऋण नीति तय करने की आवश्यकता आदि पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं । 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र से आय निर्धारण मानदंडों से "गत देय" (पास्ट ड्यू) संबंधी अवधारणा को छोड़ दिया गया है । गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आस्ति देयता प्रबंध प्रणाली के संबंध में 27 जून 2001 को जारी दिशा निर्देश 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष से लागू हो गये हैं । 20 करोड़ रुपये से अधिक जनता की जमाराशियां प्राप्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आस्ति देयता प्रबंध संबंधी अर्धवार्षिक विवरणी का अपना पहला सेट 30 सितम्बर 2002 की स्थिति के अनुसार 31 अक्तूबर 2002 तक प्रस्तुत करना है ।

अन्य पर्यवेक्षी पहल

10.95 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के विनियामक ढांचे, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यकलापों पर निगरानी रखने की भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में अपना धन जमा करने से पूर्व

कुछ तथ्यों पर विचार करने, आदि के बारे में अवगत कराने की दिशा में अपना प्रयास जारी रखा । यह शिक्षा अभियान प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रानिक दोनों माध्यमों द्वारा किया गया । गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कर्मचारियों को विनियामक तथा पर्यवेक्षी ढाँचे से परिचित कराने के उद्देश्य से उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये गये । पुलिस अधिकारियों तथा राज्य सरकारों के प्राधिकारियों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के उपबंधों तथा गलती करनेवालों पर उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु सेमिनार भी आयोजित किये गये । विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की निर्दिष्ट महत्त्वपूर्ण पर्यवेक्षी भूमिका को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सहयोग से लेखा परीक्षकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों, के साथ असाधारण रिपोर्टों के त्वरित प्रस्तुतीकरण के संबंध में रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं से अवगत कराने की दृष्टि से उनके लिए आयोजित करने के लिए 46 केन्द्र चुने । उन में 14 केन्द्रों में संगोष्ठियाँ आयोजित की गई ।

10.96 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, अनिगमित निकायों आदि द्वारा जमाराशियाँ अप्राधिकृत रूप से स्वीकृत करने से संबंधित जानकारी के आपस में आदान-प्रदान के लिए तथा उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार, राज्य सरकारों के सिविल तथा पुलिस अधिकारियों, कंपनी कार्य विभाग, सेबी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, साख दर निर्धारण एजेन्सियों आदि से घनिष्ठ संपर्क बनाये रखना ज़ारी रखा । इस प्रयोजन हेतु आवधिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं । इसके अलावा, उन कपटपूर्ण / धोखाधड़ियों के मामलों में जहाँ वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमाराशियाँ वापस नहीं दी जाती हैं, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेशों से यह अनुरोध कर रहा है कि वे "तामिलनाडु सरकार के जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण (वित्तीय संस्थाओं में) अधिनियम, 1997" के समान अधिनियम बनायें । इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पन्द्रह राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेशों ने पहले ही अधिनियम बना लिये हैं या इस संबंध में काफी कदम उठाये हैं ।

विनियमन तथा पर्यवेक्षण संबंधी विविध मुद्दे

10.97 जिन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने / रखने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है, उनके लिए अप्रत्यक्ष (कार्यालय स्थान से दूर) निगरानी की प्रणाली की आवश्यकता को मानते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त कंपनियों के लिए एक विवरणी तैयार करने हेतु एक कार्य समूह (अध्यक्ष : श्री एम. आर. उमरजी) का गठन किया है । समूह ने नवम्बर 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं । (क) जिन कंपनियों को जनता की जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें रखने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है ऐसी 10 करोड़ या उससे अधिक आस्तियों के आकारवाली कंपनियों से छमाही विवरणी जिसमें निवल स्वाधिकृत निधियों, निधियों के अन्य स्रोतों, आस्तियों की संरचना, कारोबारी सूचना और आय तथा व्यय के ब्योरे तथा लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण पर जानकारी दी गयी हो; तथा (ख) ऐसी गैर-प्राधिकृत कंपनियों से जिनका आस्ति आकार 10 करोड़ रुपये से कम है, यह अपेक्षित है कि वे केवल अपने लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण ही प्रस्तुत करें । इन सिफारिशों की रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की जा रही है ।

10.98 निधि कंपनियों की गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं की जाँच करने हेतु भारत सरकार द्वारा मार्च 2000 में गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : श्री पी. सबानायगम) की सिफारिशों का कार्यान्वयन वर्तमान निधियाँ तथा भावी निधियाँ, दोनों के लिए प्रचलित विस्तृत दिशा-निर्देश लागू करते हुए, भारत सरकार ने 26 जुलाई 2001 को शुरू किया है । इन दिशा निर्देशों के अनुपालन के संबंध में निधियों द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों को देखते हुए, भारत सरकार ने फरवरी 2002 में एक विशेषज्ञ समूह (अध्यक्ष : ए.आर. राव) गठित किया । समूह ने दिशा निर्देशों में कुछ परिवर्तन की सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट मार्च 2002 में प्रस्तुत कर दी थी । कंपनी कार्य विभाग, इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए संशोधित अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया में है ।

भावी संभावनाएं

10.99 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी एवं मज़बूत बैंकिंग प्रणाली की दृष्टि के अनुरूप, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित सर्वोत्तम मानक प्राप्त करने हेतु वित्तीय प्रणाली को मज़बूत बनाना वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के भारतीय दृष्टिकोण का सार रहा है । प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों को क्रमिक रूप से कड़ा कर दिया गया है तथा बैंक संविभाग के जोखिमों को कम करने के लिए निवेश मानदंडों को लागू कर दिया गया है । भारत ने संबंधित क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों / संहिताओं के निर्धारण में तुलनकारी देशीय मूल्यांकन सहित उनकी प्रायोज्यता का निर्धारण तथा भविष्य के लिए संभाव्य कार्य पद्धति की रचना आदि में काफी प्रगति की है । अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों से एकीकरण करने का प्रयास भारतीय परिस्थितियों की इन विशेष वास्तविकताओं पर निर्भर रहेगा ।

10.100 साथ ही, भारतीय बैंकिंग प्रणाली की दक्षता के संबंध में उनकी स्थिरता को छोड़कर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जो विशेषरूप से अनिश्चित आर्थिक वातावरण में, चिन्ता के विषय हो गये हैं । गैर-निष्पादक आस्तियों (एन.पी.ए.) का स्तर लगातार ऊँचा बना रहा । वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के एक भाग के रूप में शुरू की गई ऋणों की वसूली की प्रक्रिया तथा आस्तियों के पुनर्गठन के विभिन्न उपायों की गति मंद है । सहकारी बैंकों के क्षेत्र में वर्तमान दुहरे/तिहरे विनियामक तथा पर्यवेक्षी नियंत्रण के स्थान पर एक अलग पर्यवेक्षी प्राधिकरण लाया जाना चाहिए जो सहकारी संस्थाओं की प्रभावी कार्यपद्धति तथा जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए अनन्य रूप से जिम्मेदार होगा ।